

उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

"वनभूमि"

हस्तान्तरण पत्रावली

सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ-रुद्रप्रयाग,

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

ग्राम :- तोषी,

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र :- फाटा,

तहसील :- ऊखीमठ,

जनपद :- रुद्रप्रयाग,

क्षेत्रफल :- 4.011 है० आरक्षित वनभूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु ।

0.489 है० आरक्षित वनभूमि मक इम्पिंग हेतु ।

कुल वनभूमि = 4.500 है०

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	पृष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	8	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	9-13	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	14-16-1	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	17	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	18	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	19-20	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	21	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	19-20	संलग्न है	
11	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	22-29	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	30	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	31-32	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	33	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	34	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	35	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	36-40	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।		संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	41	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	42		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	45	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दृष्टि का प्रमाण-पत्र।	46-47		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	48		
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	49-52	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	53	संलग्न है	
27	लागत लाग विश्लेषण। (5 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे० से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	54-58	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का गदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	59-61	संलग्न है	

32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन कि जाने का प्रमाणपत्र।	62	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाणपत्र	63	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	64-65	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	66	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	67	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	68	संलग्न है	
38	लामान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	69	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	70	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	71-79	— " —	
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	73	— " —	
42	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	78		
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	77	— " —	
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बोनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	80-81	— " —	
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	79	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	79	संलग्न है	
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	83-83-2	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	84	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	85	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	86	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	87	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

1- परियोजना का नाम:- जनपद-रूढ़प्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वन भूमि (संरक्षित)	4.011 है० मोटर मार्ग हेतु + 0.489 है० मक इम्पिंग हेतु = 4.500
राज्य भूमि	शून्य
नाप भूमि	0.243
वन पंचायत भूमि	शून्य
योग	4.743 है०

3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4-वन प्रभाग का नाम - केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

5-प्रस्ताव बांडिंग किया गया है -

✓ हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

✓ हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ/नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

✓ हाँ/ नहीं

13 - संमोखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। -

✓ हाँ/नहीं

14 - क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। -

हाँ/नहीं

15 - क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता

प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। -

हाँ/नहीं

16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक

पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। -

हाँ/नहीं

18 - क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। -

हाँ/नहीं

19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। -

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। -

हाँ/नहीं

20 - क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। -

हाँ/नहीं

21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। -

हाँ/नहीं

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की

प्रति संलग्न करें)

22 - क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है। -

हाँ/नहीं

23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

24 - क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है -

हाँ/नहीं

25 - यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की

गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। उल्लंघन नहीं किया गया हुआ है।

26 - सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाओं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। -

हाँ/नहीं

27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

29-मानचित्र व वास्तुचार्ट में एकरूपता है

हाँ/नहीं

30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है

हाँ/नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के

साथ संलग्न है

हाँ/नहीं

32-वया प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है

यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो वया वे सत्यापित हैं-

हाँ/नहीं

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-

हाँ/नहीं

35-वया प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

हाँ/नहीं

36-वया चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

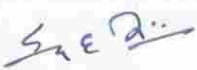
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंवट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व

समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
ऊखीमठ वन क्षेत्र मुख्यालय
जनपद रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग भाग
गौपेश्वर

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2555 / III-2 / 06-41(प्रा०आ०)/2006 दि० 26-५-2006 द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित वसावतों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 6.00 कि० मी० लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसकी धनराशी रु० 148.80 लाख है। उक्त मार्ग के संमरक्षण में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक इम्पिंग हेतु	5730	7	4.011 0.489 = 4.500
2	राज्य भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
3	वन पंचायत भूमि अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य
	वनभूमि का योग:-	5730	-	4.500
4	नाप भूमि	270	9	0.243
	कुल योग:-	6000	-	4.743

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Authrity Letter

Er. Andeep Rana, Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of Construction Division, P.W.D. Ukhimath (Agency name) on the Goverment of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)


(Manoj Das)
Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath

प्रपत्र-2

परिशिष्ट

(देखिए नियम -6)

फार्म- 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म भाग-1 (प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

- (i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

:- उत्तराखण्ड के जनपद-रूद्रप्रयाग के सीमान्त गाँव तोषी को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिये जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० ऊखीमठ को हस्तान्तरण करने हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। वर्तमान में तोषी ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिये 6.00 कि०मी० पैदल आना पड़ता है।

- (ii) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप।
परियोजना लागत।
(iii) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।
(iv) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)।
(v) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।
(vi) कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।
2- परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है।
3- (i) परिवारों की संख्या।
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।
(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)।
4- क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)
5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)
6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा।

:- संलग्न

:- ₹ 148.80 लाख

:- प्रपत्र 11 (पृष्ठ संख्या 24) के अनुसार

:- लागू नहीं है।

:- 18005..... मानव दिवस

:- प्रपत्र 16 (पृष्ठ संख्या 35) के अनुसार

:- लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

:- शून्य

:- शून्य

:- नहीं

:- संलग्न

:- विषय सूची के अनुसार संलग्न है


(श. मनोज दास)

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

तिथि 17/01/2019

स्थान ऊखीमठ

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति -	त्रिजुगीनारायण तोषी
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	रुद्रप्रयाग
(iii) जिला वन प्रभाग	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	4.5 है0
2. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति:	संरक्षितवन भूमि
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	संलग्न।
(i) वन का प्रकार	संरक्षितवन भूमि
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	.5
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	संलग्न।
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न।
4. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की संभावना नहीं है।
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	0.10 किमी0
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	नहीं।
(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	नहीं।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रेवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं।
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रेवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	हाँ - हिमालयन थार, घुर्ड, हिमालयन ब्लैक वियर, गुलदार आदि। वन्य जीव न्यूनीकरण योजना संलग्न है।

7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं
8. पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	निम्नानुसार
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचित भूमि न्यूनतम है।
9. किए गए अतिक्रमण के व्यौरें :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	लागू नहीं।
10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	संलग्न है।
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	सिविल वन भूमि
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	सिविल वन भूमि
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	संलग्न
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	संलग्न
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न।
11- वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	संलग्न।
12 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान: गोपेश्वर

तारीख 17/08/2019

हस्ताक्षर व न्यायिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

भाग 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- स्थल, जंहा की वन भूमि शामिल की गई है क्या :-
इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है
14. (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना :-
और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।
16. प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित :-
वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर

दिनांक:-
स्थान:-

नाम:-
सरकारी मोहर

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या :-
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
- (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप :-
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।)

हस्ताक्षर

दिनांक:-
स्थान:-

नाम:-
सरकारी मोहर

भाग V

18. राज्य सरकार सिफारिश। :-

(उपर्युक्त भाग II या भाग III या भाग IV में :-
किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

हस्ताक्षर

दिनांक:-

स्थान:-

नाम:-

सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 हे० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2555/III(2)/06-41(प्रा०आ०)/2006 दिनांक 26-09-2006 के द्वारा प्राप्त हुयी है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी मान्य है।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

टी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 26 सितम्बर, 2006

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 132(एक सौ बत्तीस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 132 कार्यों के रुपये 15401.63 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 14550.29 लाख (रुपये एक सौ पैंतालीस करोड़ पचास लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू० 1.32 लाख (रू० एक लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त प्रयो जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

कार्यदाया सस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शा०सं०-452/XXVII(1)/2035 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय-2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
रुख्मीमठ (रुद्रप्रयाग)

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु धनराशि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनपत्र द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़क-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-621/XXVII(2)/2006 दिनांक 22 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:- 132 कार्यों की सूची।

भवदीय

(टी० के० पन्त)

कार्यालय

संयुक्त सचिव

अधीक्षक अभियन्ता

7 वॉ वृत्त लो० नि० वि०

जोधेश्वर (बमोली)

संख्या-255(1)/11-2/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमायू/गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा/पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक।

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

पृ० सं०-1865/20 या. (क) 06 दि० 30.9.06

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र लो.नि.वि. पौड़ी/अल्मोड़ा।
2. जिलाधिकारी/लेखा वर्ग, मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लो.नि.वि. देहरादून।
3. गार्ड फाइल।

अधीक्षक अभियन्ता

7 वॉ वृत्त लो० नि० वि०

जोधेश्वर (बमोली)

(टी० के० पन्त)

संयुक्त सचिव।

30/9/06
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

107.	गौघर सिदोली मोटर मार्ग के दुगड़डा से हा0 स्कूल बरतोली तक मार्ग निर्माण	2.00	33.60	33.60	0.01
108.	बी.एम.बी. मोटर मार्ग कस्बी नगर तक विस्तार	2.00	33.60	33.60	0.01
109.	सीरी-सल्याणा-नैल-खांकर मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	53.77	50.40	0.01
110.	दिवालीखाल-भराडीसैण का डामरीकरण	4.00	81.60	81.60	0.01
111.	मसतुरा से दिलमी-करोखी मार्ग निर्माण	4.00	57.60	57.60	0.01
112.	नार्गजाई फेगु बरमाडी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित	4.00	289.50	289.50	0.01
113.	त्रियुगीनारायण-तौसी मार्ग निर्माण सेतु सहित	6.00	148.80	148.80	0.01
114.	द्वाराहाट में गगास नदी पर सिलिंग सेरा (दयाफेरा) नामक स्थान पर झूला पुल	50मी0	72.00	72.00	0.01
115.	द्वाराहाट में गगास नदी पर सांगडी (चमरेत) नामक स्थान पर आर.सी.सी. पैदल पुल	20मी0	25.00	25.00	0.01
116.	कौलागढ़ मसन्दावाला मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार		90.50	90.00	0.01
117.	नगरपालिका काशीपुर क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों में नाली व सड़क निर्माण (मा0म0म0ध0)		106.04	105.00	0.01
118.	घौरा-कमद-पडाई-बांसतोली मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित	12.00	310.40	258.96	0.01
119.	घायखान से धारखोला मोटर मार्ग का नव निर्माण द्वितीय चरण	3.00	70.96	51.23	0.01
120.	धुर्मा से कुण्डी मोटर मार्ग एवं मोक्ष नदी पर सेतु निर्माण सेतु सहित	4.00+ 36मी0	122.10	122.10	0.01
121.	ज्वारना से बगियाला मोटर मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण	17.00	294.48	294.48	0.01
122.	जंगलचट्टी से सिराणा तक मार्ग निर्माण सेतु सहित	6.00+ 15मी0	120.50	120.50	0.01
123.	बंजारावाला में मधुविहार की गलियों का पक्कीकरण	600मी0	14.52	14.50	0.01
124.	असनोली-ओणी-खण्डाह मोटर मार्ग का कोठार तक विस्तार	7.00	120.75	120.75	0.01
125.	नगरोडा से हरिनन्दा मंदिर तक मोटर मार्ग का धौनखोला तक विस्तार	2.00	35.60	35.60	0.01
126.	देवस्थल कनालीछीना मोटर मार्ग के किमी0 4 से 13 तक पुनः निर्माण एवं सुधार	9.00	176.00	176.00	0.01
127.	विधासमा बाईपास मार्ग से दून विश्वविद्यालय परिसर तक निर्माणधीन मार्ग का मोथरोवाला तक विस्तार		37.40	36.00	0.01
128.	बद्रीपुरा काठगोदाम में कलसिया नाले के उपर पैदल सेतु एवं सम्यक मार्ग	20मी0	26.70	23.75	0.01
129.	हरजौली झोजा में आर.सी. सी. पैदल पुल का निर्माण	15 मी0	21.20	21.00	0.01
130.	इकबालपुर में विभिन्न मार्गों का सी.सी. में परिवर्तन	-	235.80	235.80	0.01
131.	देहरादून में चन्द्रबनी में सेवलाकला-माजरा को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण	100मी0	2.47	2.45	0.01
132.	मुन्स्यारी के भदताकट ग. वसन्त कोट ग्राम के निकट गोरी नदी पर झूला पुल का सुरक्षात्मक कार्य	70मी0	3.25	3.13	0.01
कुल योग			15401.63	14550.29	1.32

(रूपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र)

(टी० पी० पन्त)
संयुक्त सचिव।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

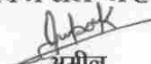
परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 19-09-2018 को आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मंगल सिंह नेगी वन दरोगा अनुभाग सोनप्रयाग एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री सुन्दरलाल राठोड नि० फाटा एवं लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री मानसिंह (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री विष्णुदत्त नौटियाल (अमीन), श्री दीपक पंचार (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) 4.011 है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.489 है० मक इम्पिंग हेतु अर्थात् कुल वनभूमि 4.500 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, आवेदित वनभूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प / संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत परियोजना जनहित में किया जाना है, व इस परियोजना के निर्माण से 1 गाँव व 145 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 286 वृक्षों का पातन निहित है। जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

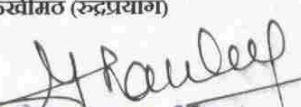

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

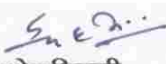

राजस्व उप निरीक्षक
फाटा


(मंगल सिंह नेगी)
वन दरोगा
सोनप्रयाग अनुभाग


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ (ऊखीमठ)


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी
जनपद रुद्रप्रयाग


तहसीलदार
ऊखीमठ
उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर


प्रप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

SITE INSPECTION REPORT
NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA 1980)

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer P.W.D UKHIMATH** for diversion (under FCA 1980) of **4.5 Ha.** of Forest land for non-forestry purpose. The project envisages transfer of Forest land for the **Construction of Triyuginarayan to Toshi moter road.**

I have carried out the site inspection of the land required on date **17/08/2019**

On inspection of the site, it is found that the land required by the User Agency is a forest area measuring **4.5 Hectare.**

The requirement of Forest Land as proposed by the User Agency in Column no.-2 of Part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. - yes

There are rare / endangered / unique Species of Flora and Fauna found in the area-
Yes, a wildlife mitigation plan is attached.

There are no Archaeological / heritage site / defined establishment or any other important Monument located in the area-No

The User Agency has not violated the provision of Forest Conservation Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

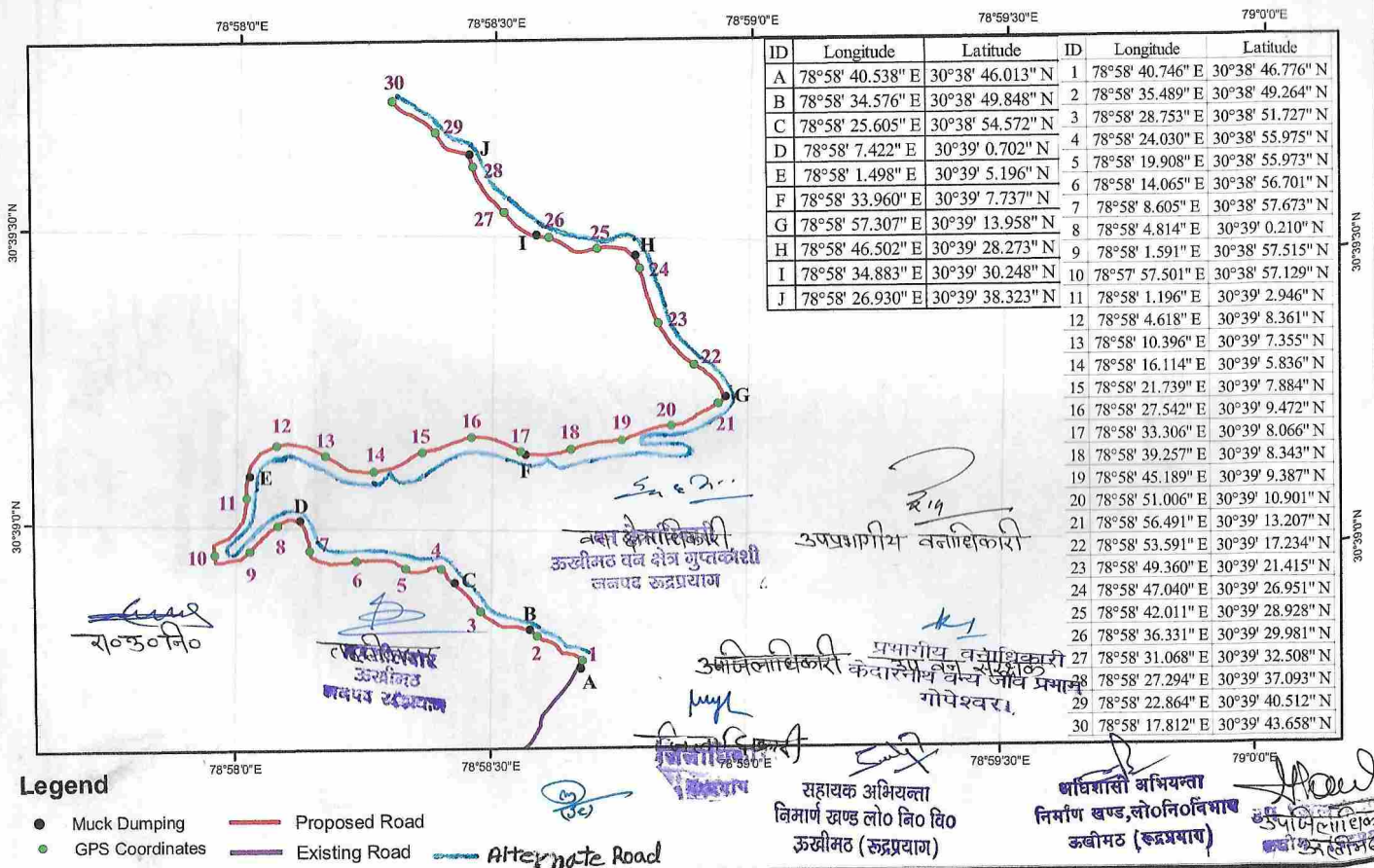
The proposal is recommended

Place-...Gopeshwar

Date- 17/08/2019


(Signature)

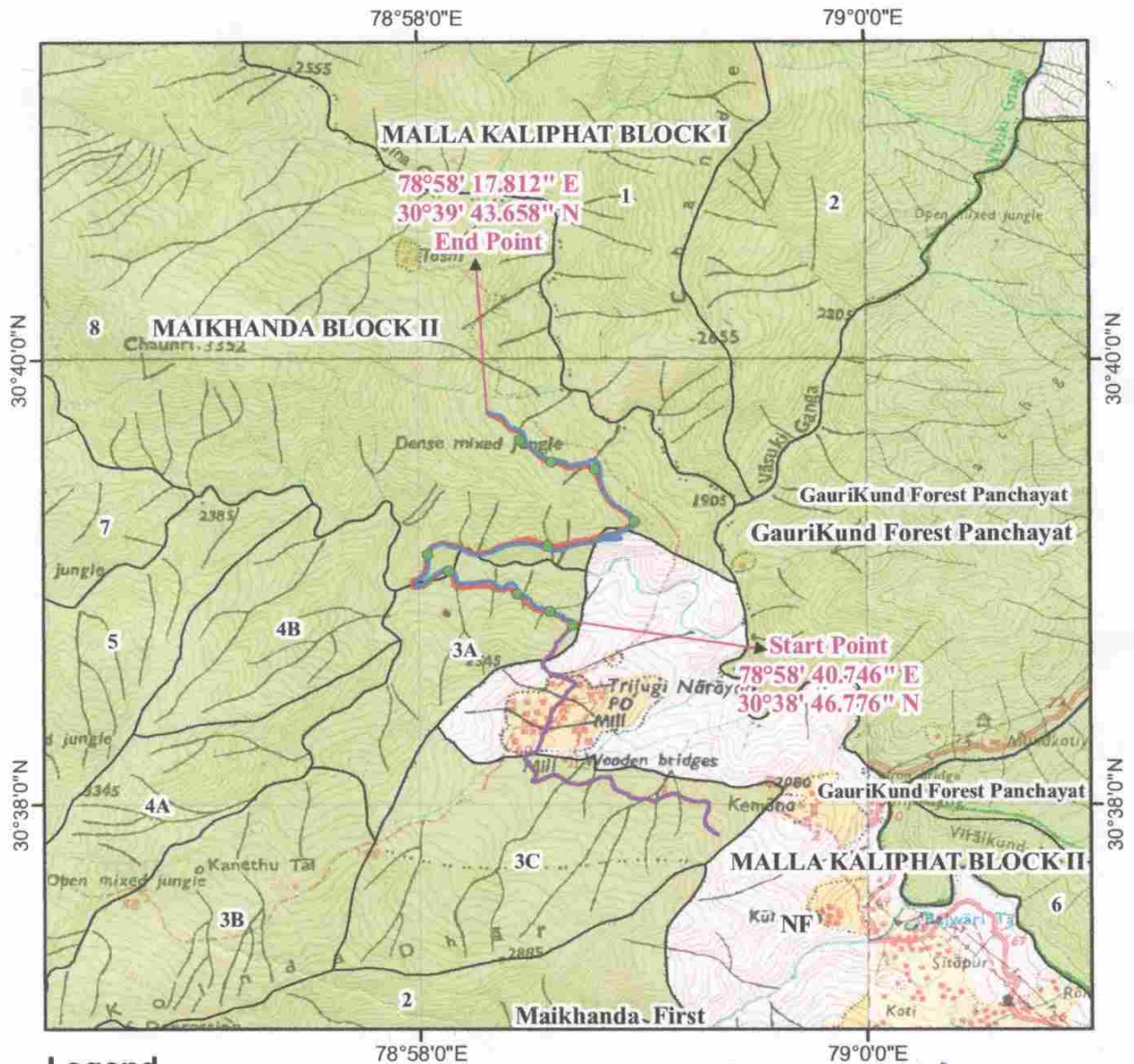
Name, Amit Kanwar
Designation
Office Seal



डिजिटल मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

SOI Toposheet No. - 53 J/14

0 0.5 1Km



Legend

- Muck Dumping
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Forest Range Boundary
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० भाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकश्मी
जनपद रुद्रप्रयाग

उपप्रभारी
नवाधिकारी

प्रभारी वन्य जीव प्रयाग
कंदारनाथ वन्य जीव प्रयाग
गोपेश्वर।

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद-रुद्रप्रयाग का सीमान्त ग्राम-तोषी (कुल आबादी 145) वर्तमान में मोटर मार्ग से वंचित होने के कारण शिक्षा, चिकित्सा व अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिये 4.00 किमी० पैदल चलकर त्रियुगीनारायण आना पड़ता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता का तहसील मुख्यालय ब्लाक तथा चिकित्सालय आदि से सम्पर्क स्थापित हो जायेगा।

प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण जिस क्षेत्र में होना है उसका अधिकतम भाग केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्य जीव अभ्यारण में है। जिसहेतु राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद से अनुमति ले ली गयी है (अनुमति पत्र प्रस्ताव में संलग्न है)

अतः ली गयी 4.500 है० वनभूमि न्यूनतम है। संरक्षण का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि संरक्षण पर कम से कम वनभूमि पड़े तथा न्यूनतम वृक्षों के पातन की आवश्यकता हो।


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


शरान

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
जनपद रुद्रप्रयाग


उपप्रशासकीय वनधिकारी

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 हे० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक संमरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।



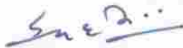
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
ऊखीमठ वन क्षेत्र, रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग



उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर



प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्राप्त - अनुसूचित
अनुसूचित जाति
मंडल

स्थिति - मुख्य अभियंता (अनुसूचित क्षेत्र)
आवास निर्माण विभाग
पंडी नगरपालिका

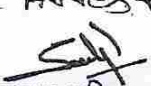
संख्या - 154 / निर्माण विभाग / 2000-01 दिनांक 11-2-2001

विषय - अनुसूचित क्षेत्र को जनप्रतिष्ठान स्वरूपको को लागि निर्माण योजना वर्ष 2000-2001 को अनुसूचित माग एवं सेवा मागको को लागि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अनुसूचितको को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

गोपनीय,

उक्त विषयक शासनादेश संख्या 3504/285-2000-89/99 दिनांक 8.9.2000-2001 वर्ष 2000-2001 को लागि निर्माण योजना को अनुसूचित लोक निर्माण विभाग को माग/सेवा सेवाको को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने को अभियंता लोक निर्माण विभाग अनुसूचित 11 को शासनादेश संख्या 758 ई/23.11.99-08/99 दिनांक 9.3.1999 द्वारा निर्माण मागको/माग दर्शक विवरणको को अनुसूचित शासनादेश संख्या 2089 ई/23 लो.नि.वि.वि. 11-4 ई/99 दिनांक 7.5.99 द्वारा प्रतिनिधित्व अभियंता एवं अनुसूचित क्षेत्र को तहत अनुसूचितको को प्रतिनिधित्व को लागि को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परिप्रेक्ष्य में जनप्रतिष्ठान रूप अनुसूचित क्षेत्र 124.80 लाख (124 करोड़ चौबीस लाख एवं आठ सौ हजार मात्र) को प्रदान पर वर्ष 2000-2001 को लागि माग सेवा की गयी स्वीकृति को अनुसूचित क्षेत्रको को माग पर प्रदान प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कार्य एवं तक आसन्न न किने जाने एवं उन पर न कोई कार्य किया जाने और उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का वित्तीय व्यय ही न किया जाये एवं तक कि प्रत्येक कार्य को सम्बन्ध में निरवृत्त आगमन/व्यय आदि पर समस्त अभियंता की प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।
3. समस्त भव्यता कि समस्त स्वीकृति कार्यको को लागि ही किया जाये तथा अन्य योजनाओं पर इसका उपयोग न किया जाय तथा स्वीकृत व्ययसे से अधिक व्यय स्वीकृति की प्रत्याश में कदापि नहीं किया जायेगा।
4. शासनादेश संख्या 2089 ई/23 लो.नि.वि.वि. 11-4 ई/99 दिनांक 7.5.1999 में निर्माण प्राधिकारों को अनुसूचित मुख्य आगमनता (गठवाला क्षेत्र) लो.नि.वि.वि. 11, पंडी नगरपालिका, इस विषयक समस्त सेवा को अनुसूचित सम्बन्धित आदेशों की प्रतिमा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि वनद अनुसूचित को सेवा 94 को अनुसूचित शासन स्तर से अभियंताक

P.C. Attached

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

लोक निर्माण विभाग की जिला योजना वर्ष 2000-2001 के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग (गढ़वाल) के मार्ग/रोड कार्य निम्नकी प्रशासकीय एवं वित्तीय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पीडी के पत्र संख्या /24 (2000-2001) दिनांक द्वारा प्रदान की गयी है का सारांशक:-

क्र.सं.	मार्ग रोड का नाम	लम्बाई (किमी)/ रूपांक मी०	आगत लाख रु० में
1.	<u>विनय राय, जगदलगाँव</u> कुशीली गढ़कोटी, डाली-गुमाऊ हल्का यादव मार्ग का विस्तार	1.00	10.40
2.	दुमवार से चारई हल्का यादव मार्ग का विस्तार	1.00	10.40
3.	रानी डी पाटा गौलगाँव जाल हल्का यादव मार्ग का विस्तार	2.00	20.80
4.	तोलन गढ़कोटी - हल्का यादव मार्ग का विस्तार	0.50	5.20
5.	कोटवाल जगदलगाँव हल्का यादव मार्ग का विस्तार	0.50	5.20
6.	कमराव से जगदलगाँव हल्का यादव मार्ग का विस्तार	0.50	5.20
7.	वीर काली डालगाँव हल्का यादव मार्ग का विस्तार	0.50	5.20
	<u>विनय राय, जगदलगाँव</u>		
1.	जालगाँव से हार रायगाँव मार्ग	1.00	10.40
2.	कलीवाडाल से जगदलगाँव मार्ग का विस्तार	1.00	10.40
3.	दिगली दिगवार गुन्नादेवा हल्का यादव मार्ग का विस्तार	1.00	10.40
	<u>विनय राय, जगदलगाँव</u>		
1.	जालगाँव से रानी हल्का यादव मार्ग का विस्तार	0.50	5.20
2.	विजुली-नारायण तोपी हल्का यादव मार्ग का विस्तार	1.00	10.40
3.	देवली भागिगाँव हल्का यादव मार्ग का विस्तार	1.00	10.40
4.	पटौली हार जगदलगाँव हल्का यादव मार्ग का विस्तार	0.50	5.20
	<u>कुल मार्ग</u>		124.80

(एक करोड़ नौवीस लाख एवं आठवीं सौ रुपये मात्र)

सी० सी० गुमाटी
मुख्य अभियन्ता गत-1

लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल अलगोड़ा

कैम्प-देहरादून

आयुक्त
गढ़वाल मण्डल
पीडी

P.C. Ambedkar

सहायक अभियन्ता
निमेषि खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

संरेखण आख्या

कार्य का नाम:-
मार्ग की स्वीकृति:-

जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण-तोषी मोटर मार्ग का निर्माण।
इस मार्ग में 1.00 कि.मी. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 112लो.नि.-2/2004-04 (प्रा.आ.)/2004 दिनांक 6-2-²⁰⁰⁴~~40~~ व 6.00 कि.मी. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं. ~~2228~~²⁵⁵⁵/111(2)/06-~~40~~⁴¹ (प्रा.आ.)/06 टी.सी.। दिनांक 26 सितम्बर 2006 के द्वारा प्राप्त हुई है।

स्वीकृत लम्बाई :-
वास्तविक लम्बाई :-

7.000 किमी।
5.500 किमी।

लागत :-

14.40 लाख रु.+148.80 लाख रु. = 163.20 लाख रु.।

संरेखण की उपयोगिता:-

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण-तोषी मोटर मार्ग के कि.मी. 12.500 के पश्चात् पूर्व में स्वीकृत 0.900 कि.मी. हल्का वाहन मार्ग से प्रारम्भ होता है। इस मार्ग के निर्माण हो जाने से तोषी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेगा। मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा होगी।

संरेखण का विवरण:-

सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः लाल व हरे रंग दर्शाये गये हैं। जिसमें प्रस्तावित संरेखण से क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण ही उचित है।

अतः प्रस्तावित संरेखण जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन हेतु प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

PC attested

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अभिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	यह संरेखण त्रियुगीनारायण-तोषी मोटर मार्ग के किमी. 12.50 के पश्चात पूर्व में स्वीकृत 0.900 कि.मी. हल्का वाहन मार्ग से प्रारम्भ होता है। यह संरेखण राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। यह संरेखण 5.50 कि.मी. लम्बाई के लिए है इस मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम तोषी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेगा।	समरेखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	5.50 किमी.	6.00 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) वन भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित	5.00 किमी. 0.500 किमी. शून्य 0.500 किमी.	5.50 किमी. 0.500 किमी. शून्य 0.500 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिटटी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिटटी, पत्थर अत्यधिक कठोर चट्टान
8.	वनस्पति		
9.	मार्ग का ढाल	4.50%	5.00%
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	5.50 किमी. शून्य	5.00 किमी. 1.00 किमी.
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	3.00 किमी. 2.50 किमी.	4.00 किमी. 2.00 किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य

क्र.सं.	भेद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	शून्य एक	शून्य एक
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 2 अनुसार
16.	लामाविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या त्रियुगीनारायण 001952000 1125 तोषी 00195000 145	समरेखण नं. 2 अनुसार —
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह संरेखण त्रियुगीनारायण—तोषी मोटर मार्ग के कि.मी. 12.500 के पश्चात् पूर्व में स्वीकृत 0.900 कि.मी. हल्का वाहन मार्ग से प्रारम्भ होता है। यह संरेखण राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। यह संरेखण 5.50 कि.मी. लम्बाई के लिए है इस मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम तोषी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेगा। जिससे इस क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।	समरेखण नं. 2 अनुसार
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्गों से जुड़ जाने के कारण मार्ग का संचार सम्बन्धी महत्व होगा।	समरेखण नं. 2 अनुसार
19.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे आलू माल्टा, नीबू, नारंगी व, दालो आदि का ढुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 2 अनुसार
20.	हेयर पिन बैंड	शून्य	शून्य

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 2 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 2 अनुसार
23.	लाभ व हानि	1. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 2. ग्रामवासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 3. इस समरेखण पेड़ों को कम हानि हो रही है।	1. कठोर चट्टान अधिक पड़ेगी। 2. इस समरेखण से ग्रामवासी सहमत नहीं हैं। 3. इस समरेखण में पेड़ों की अधिक हानि हो रही है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

P.C. Attested

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सारांश

संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि प्रस्तावित संरेखण जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है,, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से जनता सन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, स्वीकृति की संस्तुति सहित स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता है। मार्ग केवल 5.50 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है। निर्माण कार्य आरक्षित वन भूमि कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः प्रस्तावित समरेखण जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।

भारतक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

PC Attested

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वैकल्पिक समरंखण को कार्य स्थल पर मेरे द्वारा दर्शायी गयी तिथि को निरीक्षण के समय देख लिया गया है। तथा प्रस्तावित समरंखण कार्य स्थल की तकनीकी दृष्टि से उचित है।

1. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 25-7-08
2. सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि..... 21.01.2009
3. अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि..... 27/01/2010

अतः प्रस्तावित समरंखण नं. 1 जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, का अनुमोदन करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

PC Attended

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (है.में)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	4.500	286	6.00	-
संरेखण-2	4.900	300	7.00	अधिक वृक्षों का पातन व वनभूमि प्रभावित हो रही है।

उक्त दोनों समरेखणों में से समरेखण न० 1 (एक) उपयुक्त है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीक्षारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
जनपद रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वन्याधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वन्याधिकारी
प्रभागीय वन्याधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रपत्र-14

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित राज्य व संरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित **4.500** है० आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) वनभूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

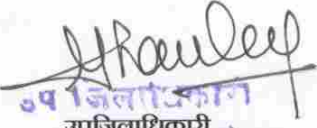

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

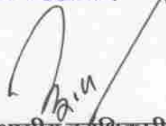

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


राजस्व उप निरीक्षक
फाटा


वसुधालदार
ऊखीमठ
जनपद रूद्रप्रयाग


उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
ऊखीमठ रेंज (रूद्रप्रयाग)
जनपद रूद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

लैन्ड शैड्यूल
(संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है०)
रूद्रप्रयाग	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर	ऊखीमठ रेज क्षेत्र गुप्तकाशी	मैरवडा II	5730	7	4.011 मोटर मार्ग हेतु + 0.489 मक इम्पिंग हेतु = 4.500


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
ऊखीमठ रेज (रूद्रप्रयाग)
जनपद रूद्रप्रयाग


उपप्रभागिय वनधिकारी

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रपत्र-15.1
लैन्ड शैड्यूल

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणी:-

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकवा	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है०)
				शून्य			


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


राजस्व उप निरीक्षक
फाटा


तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

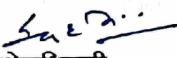
परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण ।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मक इम्पिंग हेतु	5730	7	4.011 0.489 = 4.500
2	राज्य भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
3	वन पंचायत भूमि अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य
	वनभूमि का योग:-	5730	-	4.500
4	नाप भूमि	270	9	0.243
	कुल योग:-	6000	-	4.743


क. क. जायसवाल
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
जनपद रुद्रप्रयाग

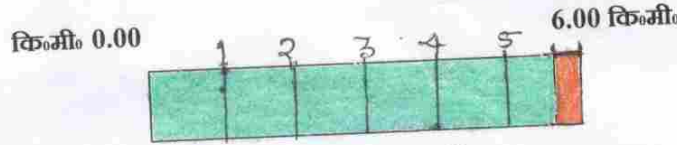

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर ।

प्रपत्र-17

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

बारचार्ट का प्रारूप



संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (है० में)
आरक्षित वनभूमि (संरक्षित)	Green	4.011 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.489 मक डिस्पोजल हेतु = 4.500
राज्य भूमि	Yellow	शून्य
नाप भूमि	Orange	0.243


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

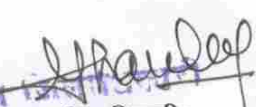

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


राजस्व उप निरीक्षक
फाटा


तारसीलाल
ऊखीमठ
ऊखीमठ


उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
जनपद रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-18कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

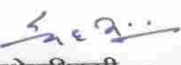
परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

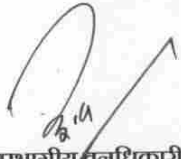
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निरमाण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
ऊखीमठ रेंज (रूद्रप्रयाग)
जनपद रूद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रसंभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

①

परियोजना का नाम - विद्युतीकरण योजना मोटर मार्ग में बाधित वृक्षों की गणना सूची प्रदान करने के लिए

बाधित वृक्षों की प्रजातिवार विवरण

क्र.सं.	वृक्ष	वृक्ष संख्या	प्रजाति	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	मौज
मह	मेम्बरूडा II	कस 3A	कुसुमा	34	26	15	12	4	4	2	2	99
			कुसुमा	16	12	7	2	-	1	-	-	38
			कुसुमा	18	10	5	4	3	-	-	-	40
			कुसुमा	-	1	-	-	-	-	-	-	1
			कुसुमा	2	-	1	-	-	-	-	-	3
			कुसुमा	2	-	3	-	1	-	-	-	6
			कुसुमा	1	-	-	-	-	-	-	-	1
			कुसुमा	-	-	-	1	1	1	-	-	3
			कुसुमा	6	2	-	1	1	-	-	-	10
			कुसुमा	3	-	2	-	-	-	-	-	5
मह	मेम्बरूडा II	कस 8	कुसुमा	-	-	-	-	2	2	2	-	6
			कुसुमा	3	-	-	1	-	-	-	1	5
			कुसुमा	10	8	7	8	1	3	1	-	43
			कुसुमा	2	3	1	3	1	1	2	-	14
			कुसुमा	-	-	-	-	1	-	-	-	1
			कुसुमा	-	-	1	1	-	-	-	-	2
			कुसुमा	2	2	-	1	-	-	-	-	3
			कुसुमा	97	64	42	34	21	12	7	3	280

वन क्षेत्र अधिकारी
कलीमठ वन क्षेत्र गुप्तकेशी
जनपद रुद्रप्रयाग

(दीपक पंजा)

अनुरोधित, अतिरिक्त
निर्देशिका: 11/11/2020

(मंगल सिंह नेगी)
9050
मोहन पंजा रुद्रप्रयाग

(2)

परियोजना का नाम - चियुनी नगरपालिका लोधी मोटर मार्ग लोधी सिविल सेक्टर में बाहरी इमारतों की मरम्मत योजना

दि० २०१९/०१/१९

क्र.सं.	वर्ग	काम	बाहरी इमारतों की मरम्मत विवरण									
			प्रकार	१०-२०	२०-३०	३०-४०	४०-५०	५०-६०	६०-७०	७०-८०	८०-९०	मार्ग
		लोधी	पुंजा	-	-	-	१	-	-	-	-	१
			कुली	-	-	-	-	१	-	-	-	१
			मोटर	-	-	-	१	-	-	-	-	१
			आवासीय	-	-	-	-	-	१	-	-	१
			अन्य	-	-	१	१	-	-	-	-	२
			मार्ग	-	-	१	३	१	१	-	-	६

R.S. 11/1/2019
2019/01/19

(दीपक पंवार)
अभिनि
लो० नि० वि०
अखीमट

(मान सिंह)
अपर सहायक अभियंता
निर्माण एवं लो० नि० वि०
उत्तरांचल

(मंगल सिंह)
अ० द०
सोमप्रसाद कपूर

५०६२००
वन क्षेत्र अधिकारी
ऊखीगढ वन क्षेत्र गुप्तकाशी
जनपद रुद्रप्रयाग

(37)

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है. वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 19-09-2018 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आरक्षित वनभूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी।:-

आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) पर प्रभावित पेड़

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	तोषी कक्ष 3 ए	बुरांस	34	26	15	12	04	04	02	02	-	99
2		अंयार	16	12	07	02	-	01	-	-	-	38
3		अखरोट	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
4		मेहल	02	-	01	-	-	-	-	-	-	03
5		उत्तीस	02	-	03	-	01	-	-	-	-	06
6		मोरू	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
7		पांगर	-	-	-	01	01	01	-	-	-	03
8		बाँज	06	02	-	01	01	-	-	-	-	10
9		पापड़ी	03	-	02	-	-	-	-	-	-	05
10		अन्य	18	10	05	04	03	-	-	-	-	40
11	तोषी कक्ष 8 ए	बुरांस	-	-	-	-	02	02	02	-	-	06
12		अंयार	03	-	-	01	-	-	-	01	-	05
13		बाँज	02	03	01	03	02	01	02	-	-	14
14		उत्तीस	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01
15		पांगर	-	-	01	01	-	-	-	-	-	02
16		अखरोट	-	02	-	01	-	-	-	-	-	03
17		अन्य	10	08	07	08	06	03	01	-	-	43
18	तोषी	बुरांस	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
19		उत्तीस	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01
20		मोरू	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
21		अंयार	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01
22		अन्य	-	-	01	01	-	-	-	-	-	02
योग:-			97	64	43	37	22	13	07	03	-	286

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
कस्तीमठ रेंज (रूद्रप्रयाग)
जनपद रुद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद-रूढ़प्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 19-09-2018 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्राभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी :-

सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग								योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	
					शून्य						

राजस्व उप निरीक्षक
फाटा

नाथजीवदार
ऊखीमत
जनपद रूढ़प्रयाग

उपजिलाधिकारी
(ऊखीमत प्रभाग)

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
ऊखीमत रेंज (रूढ़प्रयाग)
जनपद रूढ़प्रयाग

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग									योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि (संरक्षित)	97	64	43	37	22	13	07	03	-	286
2	सिविल सोयम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वन पंचायत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	97	64	43	37	22	13	07	03	-	286
4	नाप भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल योग	97	64	43	37	22	13	07	03	-	286

राजस्व उप निरीक्षक
फाटा

तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद-रूद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
ऊखीमठ रेंज (रूद्रप्रयाग)
जनपद-रूद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 हे० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

क्र०सं०	ग्राम / ब्लाक का नाम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास से०मी० में	दर प्रति पेड़	कुल धनराशी	टिप्पणी	
1	मेरवाडा II	बुरांस	Quercus lanuginosa Rhododendron	34	10-20	90.00	3060.00		
				26	20-30	180.00	4680.00		
				15	30-40	438.00	6570.00		
				12	40-50	708.00	8496.00		
				4	50-60	876.00	3504.00		
				4	60-70	1146.00	4584.00		
				2	70-80	1382.00	2764.00		
				2	80-90	1685.00	3370.00		
2		अंयार	Quercus lanuginosa Rhododendron	16	10-20	90.00	1440.00		
				12	20-30	180.00	2160.00		
				7	30-40	438.00	3066.00		
				2	40-50	708.00	1416.00		
3		अखरोट	Juglens regia	1	20-30	213.00	213.00		
				1	60-70	1146.00	1146.00		
4		मेहल	Andromeda	2	10-20	90.00	180.00		
				1	30-40	438.00	438.00		
5		तोषी कक्ष 3 ए	उत्तीस	Alnus nepalensis	2	10-20	180.00	360.00	
					3	30-40	618.00	1854.00	
					1	50-60	2472.00	2472.00	
6			मोरू	Quercus	1	10-20	163.00	163.00	
	1				40-50	1230.00	1230.00		
7	पांगर		Aesculus indica	1	50-60	2315.00	2315.00		
				6	10-20	163.00	978.00		
8	बाँज		Quercus leucotrichophora	2	20-30	253.00	506.00		
				1	40-50	1180.00	1180.00		
				1	50-60	1989.00	1989.00		
				3	10-20	399.00	1197.00		
9	पापड़ी		Buxus wallicnina	2	30-40	1831.00	3662.00		
		18		10-20	90.00	1620.00			
		10		20-30	180.00	1800.00			
		5		30-40	438.00	2190.00			
		4		40-50	708.00	2832.00			
10	अन्य	Andromeda	3	50-60	876.00	2628.00			
			2	50-60	876.00	1752.00			
			2	60-70	1146.00	2292.00			
11	बुरांस	Quercus lanuginosa Rhododendron	2	70-80	1382.00	2764.00			
			3	10-20	90.00	270.00			
			1	40-50	708.00	708.00			
12	अंयार	Quercus lanuginosa Rhododendron	1	80-90	1685.00	1685.00			
			2	10-20	163.00	326.00			
			3	20-30	253.00	759.00			
13	मेरवाडा II तोषी कक्ष 8 ए	बाँज	Quercus leucotrichophora	1	30-40	545.00	545.00		
				3	40-50	1180.00	3540.00		
				2	50-60	1989.00	3978.00		
				1	60-70	2899.00	2899.00		
				2	70-80	3978.00	7956.00		
				2	70-80	3978.00	7956.00		
				1	40-50	6416.00	6416.00		
				2	20-30	1079.00	2158.00		
14		उत्तीस	Alnus nepalensis	1	50-60	2472.00	2472.00		
				1	30-40	635.00	635.00		
15		पांगर	Aesculus indica	1	40-50	1230.00	1230.00		
				1	40-50	1230.00	1230.00		
16	अखरोट	Juglens regia	2	20-30	1079.00	2158.00			
			1	40-50	6416.00	6416.00			
17	अन्य	Andromeda	10	10-20	90.00	900.00			
			8	20-30	180.00	1440.00			
			7	30-40	438.00	3066.00			
			8	40-50	708.00	5664.00			
			6	50-60	876.00	5256.00			
			3	60-70	1146.00	3438.00			
			1	70-80	1382.00	1382.00			
			1	70-80	1382.00	1382.00			

18	तोषी	बुरांस	Quercus lanuginona Rhododendron	1	40-50	708.00	708.00	
19		उत्तीस	Alnus nepalensis	1	40-50	1258.00	1258.00	
20		मोरू	Quercus	1	40-50	1230.00	1230.00	
21		अंयार	Quercus lanuginona Rhododendron	1	60-70	1146.00	1146.00	
22		अन्य	Andromeda	1	30-40	438.00	438.00	
				1	40-50	708.00	708.00	
योग-				286			145082.00	

5/12/20
वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
कस्तीनठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी
ललपद रुद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले 286 वृक्षों का पातन किया जाना है ।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
जनपद रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गौपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद-रूढ़प्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दि० _____ को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई ।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	तोषी कक्ष 3 ए	बाँज	06	02	-	01	01	-	-	-	-	10
2	तोषी कक्ष 8 ए	बाँज	02	03	01	03	02	01	02	-	-	14
योग:-			08	05	01	04	03	01	02	-	-	24

वन संरक्षक

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

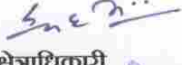
प्रस्तावित परियोजना मे वृक्ष प्रभावित न होने की दशा मे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं ।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रुद्रप्रयाग)
जनपद रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्र.प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रपत्र-24

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

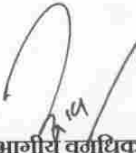
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा ।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


अधिसूचक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रूद्रप्रयाग)
जनपद रूद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

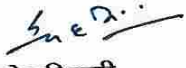

प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रपत्र-25

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण से दूरी व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि क्षेत्र की समीपस्थ ~~केदारनाथ~~ वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दूरी ०.४ कि०मी० है।


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रज (रूद्रप्रयाग) तहसील
जनपद रूद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है।


वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेंज (रूद्रप्रयाग)
ऊखीमठ वन क्षेत्र, रुद्रप्रयाग
जनपद रूद्रप्रयाग

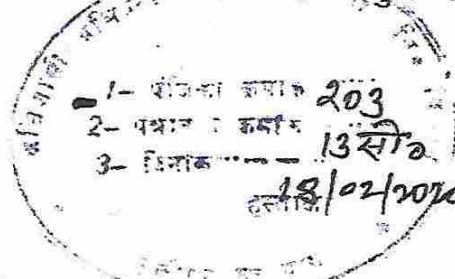

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अंतर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.50 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में।

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक -2218/12-1 दिनांक 24/12/2019 से उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र कि जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अंतर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग का निर्माण केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना है, जहां पर वन्यजीव प्रचुरता से वास करते हैं। मोटर मार्ग निर्माण से क्षेत्र वन्यजीव सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसकी रोकथाम हेतु Wildlife Mitigation Plan प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव विहार, गोपेश्वर के द्वारा तैयार किया गया है। यह क्षेत्र विकास में बहुत पिछड़ा है तथा वहां बसी जनसंख्या का ना ही सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हो पाया है।

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण की संस्तुति जनहित में की जाती है।



(राजीव शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड
85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन नं०-0135-2742884 फैक्स-2745691

पत्रांक- 2561 / 12-1 दिनांक 15 जनवरी 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

5. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ।

(राजीव शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

15/1/2020



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Wildlife Division)

6th Floor, Vayu Wing
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bag Road, Aliganj
New Delhi 110 003

F.No. 6-4/2018 WL

Date: 07.02.2018

To
All Members
Standing Committee of NBWL

Sub: Minutes of 47th Meeting of the Standing Committee of NBWL- reg.

Sir/Madam,

Kindly find enclosed copy of the Minutes of 47th Meeting of the Standing Committee of National Board for Wildlife held on 25th January 2018 at 01.00 PM in Teesta Conference Hall, I Floor, Vayu Block, Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi under the chairmanship of Hon'ble Union Minister of Environment, Forest and Climate Change.

Yours faithfully,

(Dr. Pasupala Ravi)
Scientist C

E-mail: ddwlmef@gmail.com

Encl: As above

Distribution

- (1) Secretary, MoEF&CC
- (2) DGF&SS, MoEF&CC
- (3) Member Secretary, NTCA
- (4) ADGF(FC), MoEF&CC
- (5) ADGF(WL), MoEF&CC
- (6) Director, WII, Dehradun
- (7) Director, GEER Foundation, Gandhinagar, Gujarat
- (8) Prof. R. Sukumar, Member, NBWL
- (9) Dr. H.S. Singh, Member, NBWL
- (10) Pr. Secretary (Dept. of Envi., Forest, Science & Tech.), Govt. of Andhra Pradesh

Copy to

- (1) PS to Hon'ble MoEF&CC
- (2) PPS to DGF&SS, MoEF&CC
- (3) PPS to Addl.DGF(WL), Member Secretary, NBWL
- (4) PPS to IGF(WL)/PS to DIG(WL)/PS to JD(WL)

The User Agency shall construct Masonry pillars to demarcate the proposed project area at every 25 meter interval.

[9] The User Agency shall provide fund for implementing the Wildlife Mitigation Plan as follows:

S.No.	Activity	Amount (Rupees in Lakh)
1	Developing water source by creation of mini percolation tank 2 Nos (@Rs. 1.00 lakh each duly supported by 2 bore wells which are energized by solar power (@5 lakh each per unit)	12.00
2	Planting of dry evergreen bushy species like <i>Caesalpinia</i> , <i>bonduc</i> , <i>Phyllanthus reticulatus</i> , <i>Zizyphus oenoplea</i> , etc. all along the line of 12,459.96 m stretch in 2 staggered rows (over the filled up soil of the excavated trench) with 2 x 1 m spacing which will help the small reptiles and birds of Pakhal Wildlife Sanctuary with tentative unit costs is 1 lakh per km.	13.00
3	Developing natural grass land over 40 ha areas by uprooting unwanted weeds and sowing native grass and legume seeds @ Rs. 0.15 lakh per ha.	6.00
4	Awareness, publicity regarding antiencroachment activities, importance of Wildlife Conservation and ecosystem services.	10.00
5	Miscellaneous and unforeseen expenditure	4.00
Total		45.00

[10] This amount of Rs. 45.00 lakh meeting the cost of implementing Wildlife Mitigation Plan should be deposited in the BIOSOT Account of Chief Wildlife Warden, Telangana in Andhra Bank, Secretariat Branch, Hyderabad.

After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal along with the conditions and mitigation measures stipulated by the State CWLW.

47.4.1.13 Diversion of 4.500 ha of forestland from Kedarnath Musk Deer WLS for the construction of Triugnarayan - Toshi motor road

The DIGF(WL) briefed the Standing Committee on the proposal and stated that the project involves the diversion of 4.50 ha from the Kedarnath Musk Deer Wildlife Sanctuary for construction of motor road from Triugnarayan to Toshi. This project will improve the existing

transportation system in the region. He added that the State CWLW has recommended the proposal and mentioned that the proposed project is of public interest.

After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal along with the conditions and mitigation measures stipulated by the CWLW and with the condition that Wildlife Mitigation Plan will be prepared and implemented by the CWLW / State Government at the project cost and standard mitigation measures suggested by the by the WII in its document named "*Eco-friendly Measures to Mitigate Impacts on Linear Infrastructures on Wildlife*" should be adopted by the user agency in consultation with the CWLW.

- 47.4.1.14 (1) Electrification of Datmer under DDUGY in District Uttarkashi, Block -Mori
 (2) Electrification of Nuranu under DDUGY in District Uttarkashi, Block -Mori
 (3) Electrification of Hatwari - Estergard under DDUGY in District Uttarkashi, Block - Mori
 (4) Electrification of Sewa under DDUGY in District Uttarkashi, Block - Mori
 (5) Electrification of Gangar, Pawani and Osla under DDUGY in District Uttarkashi, Block - Mori

The DIGF(WL) briefed the Standing Committee on the proposals and stated that the proposals involves the cumulative diversion of 6.23 ha of forestland from Govind Pashu Vihar National Park for the electrification of Datmer (of length 1.20 km), Nuranu (of length 2.82 km), from Hatwari - Estergard (of length 2.89 km), Sewa (of length 0.6 km) and from Gangar - Pawani - Osla (of length 1.4 km) under Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Scheme. The project would provide electricity to the households and for irrigation purpose in the region. He added that the State CWLW has recommended the proposal without imposing conditions and mentioned that the underground laying of electric lines should be explored as an alternative and more viable option than laying overhead wires. This would reduce felling and looping of trees and reduce the risk of accidental fire, electrocution of wildlife and possible future damage to the cables from falling branches and other reasons. The State CWLW requested the Standing Committee for an overhead laying of cable on tubular steel pole with 1 meter corridor.

After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal along with the conditions and mitigation measures stipulated by the CWLW with the condition that Wildlife Mitigation Plan will be prepared and implemented by the CWLW / State Government at the project cost and standard mitigation measures suggested by the by the WII in its document

LIST OF PARTICIPANTS

1	Shri Harsh Vardhan Hon'ble Minister for Environment, Forest & Climate Change	Chairman
2	Shri C K. Mishra, Secretary, MoEF&CC	Member
3	Shri Siddhanta Das, DGF&SS, MoEF&CC	Member
4	Shri Manmohan Singh Negi, ADGF(WL), MoEF&CC	Member Secretary
5	Dr V B Mathur, Director, WII, Dehradun	Member
6	Dr H S Singh, Member, NBWL	Member
7	Shri R D Kamboj, Member, NBWL	Member
8	Shri Debabrata Swain, ADGF, Member Secretary, NTCA	Invitee
9	Shri Nishant Verma, DIGF, NTCA	Invitee
10	Shri S S Bajaj, APCCF(WL), Chhattisgarh	Invitee
11	Shri G V Reddy, APCCF & CWLW, Rajasthan	Invitee
12	Shri D V S Khatri, PCCF&CWLW, Uttarakhand	Invitee
13	Shri V Saibaba, DFO, Andhra Pradesh	Invitee
14	Shri S P Vashishth, DIGF(WL), MoEF&CC	Invitee
15	Dr Pasupala Ravi, Scientist (WL), MoEF&CC	Invitee

WILDLIFE MITIGATION PLAN

(52H)

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत त्रिजुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग का निर्माण केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार क्षेत्र में किया जाना है। उक्त क्षेत्र में वन्य जीव प्रचुरता से वास करते हैं। अतः वन्य जीवों से वास स्थल सुधार हेतु इस योजना में निम्नानुसार घटक समावेश किया गया है ताकि वन्य जीवों का संवर्धन हो सके।

क्र०सं०	कार्य का नाम	संख्या	धनराशि
1	आवृत्ता एवं भूमि संरक्षण कार्य हेतु चैक डैम निर्माण कार्य	30 नग	5,54,700.00
2	जलकुण्ड निर्माण कार्य 50,000 ली० क्षमता वाले	05 नग	2,16,150.00
3	जलकुण्ड निर्माण 1,00,000 ली० क्षमता वाले	07 नग	4,74,770.00
4	जलकुण्ड निर्माण कार्य 20,000 ली० क्षमता वाले	07 नग	2,16,000.00
5	हैबिटेट विकास कार्य झाड़ी कटान, घेरबाड़, जल व मृदा संरक्षण कार्य 05 वर्ष अनुरक्षण सहित 500 पौध रोपण	10.00 है०	12,25,000.00
7	ट्रेप कैमरा क्रय	08 नग	1,60,000.00
8	प्रचार-प्रसार, साइन बोर्ड व जन जागरूकता कार्य	-एल एस	1,00,000.00
		योग-	2946620.00

[Signature]
वन्य जीव अधिकारी
ऊखी
ऊखीमठ वन्य जीव विभाग
(गुप्तगरी)

[Signature]
District Officer
Kedarnath Wildlife Division
कै० व० वि०, प्रभारदार परवर

P.C Attested

[Signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण अण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्राक्कलन:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत त्रिजुगीनारायण से तोषी गोटर भाग निर्माण कार्य में वन्यजीव वासस्थल सुधार हेतु विभिन्न नालों में चैकडेम निर्माण कार्य करना।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर				वर्ष 2019-10		ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी।			
क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	ल०	चौ०	ऊ०	मात्रा	दर	धनराशि	आ० सं०
1	चैक डैम हेतु बुनियाद खुदान कार्य	30	5.00	1.30	0.30	58.5	322.20	18,848.70	1.2
2	बुनियाद सहित चैकडेम निर्माण कार्य	30	5.00	1.30+1.00./2	1.10	189.75			
3	विंग वाल चिनाई कार्य करना	30X2	2.00	1.00+0.80./2	0.50	54.00			
4	चैकडेम के आगे भूमि कटाव रोकने हेतु एप्रिन निर्माण	30	2.00	0.50	0.25	7.50			
					Total	251-25	1896.50	4,76,495.62	1.3
							Total	4,95,344.32	
							12% GST	59,441.31	
							योग	5,54,785.63	
							OR	5,54,700'00	

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
(गुप्तकाशी)

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्राक्कलन:- जनपद रुद्रप्रयाग के आन्तरिक विनियोग से ली गई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन्य जीव वास स्थल सुधार एवं उपचार हेतु 20,000 लो० क्षमता के 07 जलकुण्ड निर्माण कार्य करना।

(52-C)

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर					वर्ष 2019-20		ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्ताकाशी		
क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	ल०	चौ०	ऊ०	मात्रा	दर	धनराशि	आ० सं०
1	जलकुण्ड निर्माण हेतु बुनियाद खुदान कार्य करना m ² h	7x3.14x3.70x3.70x0.75				225.67	322.20	72,710.08	1.2
2	जलकुण्ड के अन्दर चिनाई कार्य 2πrxh	7x2x3.14x3.70x0.30x0.75				36.59	1896.50	69,392.93	1.3
3.	पानी नाली निर्माण	7x2x45x0-50x0-50				157.50	322.20	50,746.50	
							Total	1,92,849.51	
							12%GST	23,141.94	
							G TOTAL	2,15,991.45	
							OR	2,16,000.00	

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
(गुप्ताकाशी)

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० बि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्राक्कलन:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत त्रिजुगीनारायण से लोधी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन्य जीव वास स्थल सुधार एवं उपचार हेतु 1,00,000 ली० क्षमता के 07 जलकुण्ड निर्माण कार्य करना।

(520)

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर					वर्ष 2019-20		ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी		
क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	ल०	चौ०	ऊ०	मात्रा	दर	धनराशि	आ०न०
1	जलकुण्ड निर्माण हेतु बुनियाद खुदान कार्य करना m^2h	7	3.14x6.80x6.80x0.75			762.26	322.20	2,45,600.17	1.2
2	जलकुण्ड के अन्दर चिनाई कार्य $2m \times b \times h$	7	2x3.14x6.80x0.30x0.75			67.25	1896.50	1,27,556.31	1.3
3.	पानी हेतु नाली निर्माण	7x2	45	0-50	0-50	157-50	322-20	50,746.50	
								4,23,902.98	
						GST	12%	50,868.35	
							योग	4,74,771.33	
							या	4,74,770.00	

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
(गुप्तकाशी)

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्राक्कलन:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत त्रिजुगोनारायण स तामा माटर भाग जनमाण हेतु पन्थ जाय जाय स्थल सुधार एवं उपचार हेतु 50,000 ली० क्षमता के 05 जलकुण्ड निर्माण कार्य करना।

(52E)

कैदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर		वर्ष 2019-20				ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी			
क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	ल०	चौ०	ऊ०	मात्रा	दर	घनराशि	आ०नं०
1	जलकुण्ड निर्माण हेतु बुनियाद खुदान कार्य करना m^2h	5	3.14x4.90x4.90x0.75			282.72	322.20	91,091.00	1.2
2	जलकुण्ड के अन्दर चिनाई कार्य $2m \times b \times h$	5	2x3.14x4.90x0.30x0.75			34.62	1896.50	65,653.98	1.3
3.	पानी हेतु नाली निर्माण	5x2	45	0-50	0-50	112-5	322-20	36,247.50	
								1,92,992.48	
						GST	12%	23,159.09	
							योग	2,16,151.57	
							या	2,16,150.00	

Di
प्रभागीय वन्याधिकारी
कै. कैदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

h. S. S.
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
(गुप्तकाशी)

P.C Attested

S. S.
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत त्रिजुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग का निर्माण

1. क्षेत्रफल -10 है०
2. रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या 500 पौध प्रति हैक्टर 5000 कुल पौध
3. रोपित की जाने वाली प्रजातियां- बांज मोरु तिलोज खरसू आदि।

क्र०सं०	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
	प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)				
1	सर्वेक्षण कार्य	है०	10.00	151.00	1,510.00
2	झाड़ी कटान कालाबासा,लेप्टेना आदि	है०	10.00	5050.00	50,500.00
3	दीवालबन्दी (1500X0.45X1.20)	घ०मी०	810	346.00	2,80,260.00
4	गद्दा खुदान रेखांकन सहित (0.30X0.30X0.45)	संख्या	5000	9.34	46,700.00
5	आद्रता बनाये रखने हेतु कण्डूर नाली, खुदान के लिए रेखांकनमय रस्सी/चूने का मूल्य सहित (2.0मीX0.50X0.30)	र०मी०	2000	21 / 20 प्र०र०मी०	2,100.00
6	कण्डूर नाली खुदान कार्य (2.0मीX0.50X0.30)	र०मी०	2000	288 / 20 प्र०र०मी०	28,800.00
7	पौधों का मूल्य	संख्या	5000 पौध	9.00 प्र०पौध	45,000.00
8	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य	र०मी०	1000 र०मी०	600 / 100 र०मी०	6,000.00
9	चैक डाम निर्माण कार्य	संख्या	10 सं०	6733.00	67,330.00
10	जल कुण्ड निर्माण कार्य	संख्या	4 नग	10,000.00	40,000.00
11	अन्य विविध व्यय-हथियार,फोटोग्राफी,आदि	लमसम		लमसम	10,300.00
	द्वितीय वर्ष (रोपण कार्य)				
12	रोपण पूर्व झाड़ी कटान कार्य	है०	10.00	2363.00	23630.00
13	गद्दा भरान 0.30X0.30X0.45	संख्या	5000	1.78प्र०ग	8,900.00
14	पौध मूल्य द्वितीय वर्ष	संख्या	5000	2.13प्र०पौध	10,650.00
15	पौध डुलान कार्य (20किमी वाहन एवं 4 किमी सिरबोज़ द्वारा डुलान)	संख्या	5000पौध	11.00प्रति पौध	55,000.00
16	पौधरोपण कार्य थावला बन्दी सहित	संख्या	5000पौध	3.46प्र० पौध	17,300.00
17	प्रथम निराई गुड़ाई/मलचिंग कार्य	संख्या	5000पौध	2.38प्र०पौ०	11,900.00
18	द्वितीय निराई गुड़ाई/मलचिंग कार्य	संख्या	5000पौध	2.05प्र० पौध	10,250.00
19	कण्डूर खाइयों की ड्रेसिंग उर्वरक कीटनाशक डालना व बीज बोना	र०मी०	2000र०मी० 0	29.2 / 20	2,920.00
20	रोपण पश्चात पौधों का रखरखाव कार्य 08 माह के लिए	है०	10.00	595.00 प्रति है प्र० माह	47,600.00
21	क्षेत्र में बोर्ड लगाना बोर्ड का मूल्य मय पेंटिंग सहित	लमसम		7000.00	7000.00
22	वृक्षारोपण क्षेत्र में लकड़ी छप्पर घास एवं प्लास्टिक डालकर अस्थायी श्रमिक हट बनाना	है०	लमसम	10,000.00	10,000.00

प्रमाणित वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
(गु.क्षेत्री)

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

23	अन्य व्यय कण्डी रस्सी श्रमिकों हेतु पौलिथी सीट, औजार आदि पर व्यय	है०		लमसम	10,000.00
तृतीय वर्ष क्षति पूर्ति (10% वीडिंग अप)					
24	पौधों का मूल्य	संख्या	500पौध	11.00	5,500.00
25	पौध ढुलान कार्य	संख्या	500पौध	13.00	6,500.00
26	पुनः गढ़ड़ा खोदना एवं रोपण कार्य	प्रति पौध	500पौध	6.00	3,000.00
27	गढ़ड़ों में गोबर खाद डालना ढुलान सहित	प्रतिसैकड़ा	500	244.00	1,220.00
28	शीतकालीन निराई गुड़ाई	प्रतिसैकड़ा	5000पौध	205.00	10250.00
29	वनीकरण वाचर का पारिश्रमिक 12 माह के लिये	प्रति है०	10.00	595.00प्रति माह	71,400.00
30	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फायर लाईन सफाई गोष्ठी प्रचार-प्रसार स्लोगन आदि)	लमसम		लमसम	16,000.00
चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य					
31	वाचर का पारिश्रमिक 12 माह	है०	10.00	595.00	71,400.00
32	निराई गुड़ाई एवं मलार्थिंग कार्य	संख्या	5000	238	11,900.00
33	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फायर लाईन सफाई गोष्ठी प्रचार-प्रसार स्लोगन आदि)	लमसम		लमसम	5,000.00
पंचम वर्ष अनुरक्षण कार्य					
34	वनीकरण वाचर का पारिश्रमिक 12 माह के लिए	है०	10.00	595/प्र० है० प्रति माह	71,400.00
35	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फायर लाईन सफाई गोष्ठी प्रचार-प्रसार स्लोगन आदि)	लमसम		लमसम	5,000.00
षष्ठम वर्ष अनुरक्षण कार्य					
	वनीकरण वाचर का पारिश्रमिक 12 माह के लिए	है०	10.00	595/प्र० है० प्रति माह	71,400.00
	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फायर लाईन सफाई गोष्ठी प्रचार-प्रसार स्लोगन आदि)	लमसम		लमसम	5,000.00
सप्तम वर्ष अनुरक्षण कार्य					
	वनीकरण वाचर का पारिश्रमिक 12 माह के लिए	है०	10.00	595/प्र० है० प्रति माह	71,400.00
	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फायर लाईन सफाई गोष्ठी प्रचार-प्रसार स्लोगन आदि)	लमसम		लमसम	5,000.00
					12,25,020.00 या 12,25,000.00

(बारह लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र)

प्रभागिक वनाधिकारी
केशरनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
(गुप्तगरी)

P.C. Attached

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

मेहेन्द्र

निम्नीताराम लोधी मोटर मार्ग के रस्तापमें से हम समस्त ग्राम वासी सहमत है. एव इसमें हमारी कोई भी पानी की लाइन व सिंचाई भी नहर किसी भी प्रकार से क्षति गस्त नहीं होगी. बल्कि सोनप्रयाग कनरवालिवा रवाली मार्ग निर्माण में कोई बाध नहीं है.

ग्राम प्रायश्चित्त निम्नीताराम
दि० 23-08-09
वि० ख० कनरवालि, रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर (ग्राम वासी)

① भद्रनरसिंह देवगढ़

रामप्रसाद

राजेन्द्र सिंह

विजयसिंह

नरेश्वर सिंह

जगदीश सिंह

कुलशानन्द

अमर सिंह

दर्शन सिंह

जगत सिंह

भीताराम

देव सिंह

शिव सिंह

हनु सिंह

पनसु सिंह

श्याम/रह

इलम सिंह

राधेश सिंह

जगदीश

P.C. Attached

सहस्यक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-30FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated. 15.02.19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.500** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Construction of Tiryuginarayan to toshi Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Toshi** villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.500** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature



District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.



प्रपत्र-30.1

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Mangesh Ghildiyal (IAS)** District Magistrate, Rudraprayag District, on the date **15/12/19** at time **3 P.m.** in **Rudraprayag** in which application claiming rights in Forest area measuring **4.500 hectare** for the construction of **Construction of Tiruginarayan to toshi Motor Road** in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ukhimath Tehsil** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.


District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.



परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति रूद्रप्रयाग

उपखण्ड रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० आरक्षित वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-ऊखीमठ) की दिनांक 14/11/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-
 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोपाल सिंह - प्रधान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री C. C. Chaudhary उपजिलाधिकारी रुविमठ अध्यक्ष
- 2- श्री शिवनाथ उपप्रभागीय वनधिकारी केदारनाथ मन्ना सदस्य
- 3- श्री संजीवपाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी Sanjeep सदस्य/सचिव
- 4- श्री S. R. CHANDRA SHARMA सदस्य निमरीनारायण - तोषी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० आरक्षित वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा अनापति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० आरक्षित वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Ranichand
 क्षेत्र पंचायत त्रियुगीनारायण तोषी
 वि० सं० ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
 प्रतिनिधि:- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sanjeep
 सहायक समाज कल्याण अधिकारी
 ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
 सहायक समाज कल्याण अधिकारी

उपप्रभागीय वनधिकारी

Hardeep
 14/11/2018
 उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रूद्रप्रयाग

Hardeep
 14/11/2018
 उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - तोषी

तहसील - ऊखीमठ, जिला - रूद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० आरक्षित वनभूमि का लो०नि०वि० के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22/10/2018 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० द्वारा आवेदित आरक्षित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित आरक्षित वनभूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त आरक्षित वनभूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित आरक्षित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमिति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तोषी के ग्रामवासियों को उक्त आरक्षित वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो०नि०वि० को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच
वन पंचायत



प्रधान
ग्राम पंचायत



प्रपत्र-30.4

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

दिनांक 22 / 10 /2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - तोषी

क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	सोहन प्रसाद ग्राम तोषी	
2	दिनेश सेमवाल ग्राम तोषी	
3	संजय शर्मा ग्राम तोषी	
4	राजेश्वर शर्मा ग्राम तोषी	
5	राधासिंह शर्मा तोषी	
6	राजेश्वर सिंह तोषी	
7	जगदीश सिंह तोषी	
8	नन्दकिशोर तोषी	
9	मदनमोहन सेमवाल	
10	रामप्रसाद सेमवाल	

11

प्रभा देवी

सरपंच
वन पंचायत



ग्राम प्रधान



कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 30/1973/09
जनपद रुद्रप्रयाग में त्रियुगीनारायण-तोषी मोटरमार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित
समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

मार्च 2009

जनपद रुद्रप्रयाग में त्रियुगीनारायण-तोषी मोटरमार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अन्तर्गत 5.5 कि०मी० लम्बाई में त्रियुगीनारायण-तोषी मोटरमार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 21.1.2009 को सम्बंधित सहायक अभियन्ता श्री हीरा सिंह नेगी एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री रविन्द्र कुमार के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण-तोषी मोटरमार्ग अलग-अलग दो स्वीकृतियों में कुल 7.00 कि०मी० (1.00+6.00 कि.मी.) लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखन बनाये गये हैं। समरेखन संख्या दो पर स्थानीय ग्रामवासियों की असहमति एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये निर्माण खण्ड द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। समरेखन एक के अनुसार मार्ग की वास्तविक लम्बाई 5.5 कि.मी. आती है। प्रस्तावित समरेखन में निर्मित 0.900 कि.मी. हल्का वाहन मार्ग के अंतिम बिन्दु से आरम्भ होता है तथा 5.5 कि.मी लम्बाई में तोषी पहुंचकर समाप्त होता है। इस समरेखन में कोई हेयर पिन बैण्ड नहीं है। अवगत कराया गया कि समरेखन की 5.00 कि.मी. लम्बाई आरक्षित वनभूमि से तथा शेष 0.5 कि.मी. लम्बाई नापभूमि से गुजरती है। कि.मी. 2 में समरेखन सोनगंगा नदी को पार करता है, जिस पर सेतु निर्माण की आवश्यकता होगी। समरेखन क्षेत्र में नीस व शिस्ट चट्टानें हैं तथा चट्टानी भाग में पहाड़ी ढलान तीव्र है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जाये।

(ख) सेतु का निर्माण उपयुक्त स्थल पर भूगर्भीय राय के आधार पर कराया जाये।

(ग) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(घ) समरेखन में तीव्र चट्टानी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(ङ) जहाँ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(च) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(छ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बन्धी बिन्दु:-

- (i) मार्ग कटान के पश्चात् हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
- (ii) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते हैं तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

5. त्रियुगीनारायण-तोषी मोटरमार्ग हेतु 5.5 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

- (1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।
- (2) मुख्य अभियन्ता स्तर'1 लो० नि० वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता०-उ०/ 05 दिनांक 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

H. Kumar
3.3.09

भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य वणि. स्तर-1
लो० नि० वि० उत्तराखण्ड
देहरादून

P. C. Anand


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-34

परियोजना का नाम:—जनपद—रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद-रूढ़प्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
- 3- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकरे का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।
- 6- परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के ब्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की रेख-देख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध बनाय गये मुनाये रख-खाव किया जायेगा
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकरक के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर श्रेयण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति की जानी अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उतराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का

भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढलान वाले वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरीडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-37

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वनभूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वनभूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है ।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग


परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

वन्य जीव /वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दौरान वन्यजीव /स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा ।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



महायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-39

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल /रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण के दौरान वन सम्पदा का प्रयोग भोजन पकाने में नहीं करेगा तथा रसोई गैस व कैरेसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करेगा । जिसकी आपूर्ति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी ।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अदिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-40

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1.	तोषी	145	40


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-41

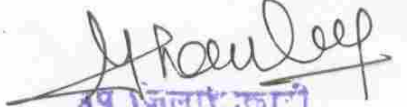
परियोजना का नाम:- जनपद-रूढ़प्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 4.500 है० वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रू० 6.18 लाख प्रति है० है। तथा वनभूमि का कुल मूल्य रू० 27.81 लाख होता है।


राजेश्व उपनिरीक्षक
फाटा


राजेश्व उपनिरीक्षक
फाटा


H. Raul
अपजिलाधिकारी
उखीमठ


H. Raul
अपजिलाधिकारी
उखीमठ

A.N.R

वृक्षारोपण प्राक्कलन

1— वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम— न्यालसू (रामपुर) 9.00 है०

वर्ष—

वन प्रभाग— रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग रेंज— गुप्तकाशी यूनिट गुप्तकाशी ब्लाक/कम्पार्टमेन्ट— न्यालसू सिविल जिला/विकास खण्ड/ग्राम— रुद्रप्रयाग/ऊखीमठ/न्यालसू

क्षेत्रफल सकल (है०)— 10.00 है० शुद्ध (है०)— 9.00 है० ऊचाई— 1500 मी० 2 — क्षेत्र का मानचित्र 1: 15000 पैमाने पर जिसमें कटूर नाले वाहनों रास्ते वर्तमान उपज (स्टाफ मैप) का विवरण रंगों से तथा वृक्षारोपण द्वारा लगाये जाने वाले प्रजाति को विहों से दर्शाया हो संलग्न करें।

3— नर्सरी में पौधों उगाने पर व्यय ।

प्रजाति	कार्य जब हुआ/होगा	संख्या	प्रति पौध दर	व्यय
बांज	मार्च	2000	6.20 रु०	27900.00
देवदार		2500		
	योग—	4500		

4— वृक्षारोपण में (बाड़) फैसिंग पर व्यय—

कुल परिधि मी० में—

कार्य	अवधि जब हुआ/होगा	नपत/साईज	लम्बाई/मात्रा	दर	व्यय
कुली दीवाल निर्माण	मार्च	1800x0.45x1.20 मी०	972.00 घन मी०	477/घ०मी० रायल्टी सहित	463644.00

5— मिट्टी तैयारी—नाली, गड्ढा, खुदाई, भराई आदि पर व्यय—

कार्य	अवधि जब हुआ/होगा	नपत/साईज	लम्बाई/मात्रा	दर	व्यय
गड्ढों का रेखांकन गड्ढा खुदान चुने की कीमत सहित	जनवरी, फरवरी	4500 नग	4500 नग	@ 7.95/	35775.00

6— पौध का नर्सरी से ढुलान पर व्यय—

पौधालय	प्रजाति	बैग या नगीं जड	मात्रा	दूरी कि०मी०	वाहन या सर वोझ	दर	व्यय
स्थल सफाई	—	—	9.00 है०	—	—	@3730/है०	33570.00

7— पौध लगाई या दुबारा लगाई आदि पर व्यय—

कार्य जब हुआ होगा	प्रजाति	मात्रा दर	दर	व्यय
—	—	—	—	—

8— देखरेख व रखरखाव एवं चौकीदार व मरम्मत आदि पर व्यय—

कार्य	अवधि	संख्या/मात्रा	दर	व्यय
वृक्षारोपण क्षेत्रों में सर्वे एवं सीमांकन	जनवरी	9.00 है०	115/है०	1035.00

9— औजारों की खरीद पर व्यय—

नाम औजार	मात्रा	दर	व्यय
औजार मरम्मत पर व्यय	अन्य व्यय निरीक्षण बटिया, औजार मरम्मत	@ 915/है०	8235.00

10— अन्य विविध कार्यों पर व्यय—

कार्य	अवधि	नपत मात्रा	दर	व्यय
1—भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य स्टोन चैकडाम	मार्च	8 नग	@ 6725/	53800.00
2— वॉटर हार्वैस्टिंग टैंक		5 नग	@7540/	37700.00
3— झाड़ी कटान लैन्टान गाजर घास काटना व जलाना		8.00 है०	@ 3730/है०	29840.00
4— फोटोग्राफी करना ।			L.S	1000.00
5— वनीकरण क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरोत्पादन, सिंगलिंग, लोपिंग व अन्य कलचर कार्य करना ।		2000	344/सै०	6880.00
6— निरीक्षण बटिया		9.00 है०	@ 915/है०	8235.00
			योग—	137455.00

11— नर्सरी में पौधों उगाने पर व्यय ।

प्रजाति	कार्य जब हुआ/होगा	संख्या	प्रति पौध दर	व्यय
बांज	मार्च	2000	1.80 रु०	8100.00
देवदार		2500		
	योग—	4500		

BF – 715714.00

12- वृक्षारोपण में (बाड़) फैसिंग पर व्यय-

कार्य	अवधि जब हुआ/होगा	नपत/साईज	लम्बाई/मात्रा	दर	व्यय
-	-	-	-	-	-

13- मिट्टी तैयारी-नाली, गड्डा, खुदाई, भराई आदि पर व्यय-

कार्य	अवधि जब हुआ/होगा	नपत/साईज	लम्बाई/मात्रा	दर	व्यय
कंकर पत्थर छाट कर गड्डा भरान करना डी0ए0पी0 व कीट नाशक मिलाना	जनवरी फरवरी	30x30x45 से0मी0	4500 नग	@ 142/से0	6390.00

14- पौध का नर्सरी से दुलान पर व्यय-

पौधालय	प्रजाति	बैग या नगी जड	मात्रा	दूरी कि0मी0	वाहन या सर बोझ	दर	व्यय
गुप्तकाशी किसान पौधालय	बांज देवदार	बैग	2000 2500 योग-	20 किमी0 वाहन 4 किमी0 सर बोझ	वाहन सर बोझ	9 रू0/500	40500.00

15- पौध लगाई या दुबारा लगाई आदि पर व्यय-

कार्य जब हुआ होगा	प्रजाति	मात्रा दर	दर	व्यय
जुलाई	बांज देवदार	2000 2500 योग-	277/से0	12465.00

16- देखरेख व रखरखाव एवं चौकीदार व मरम्मत आदि पर व्यय-

कार्य	अवधि	संख्या/मात्रा	दर	व्यय
प्रथम वर्ष अगस्त से जुलाई तक 12 महिना	अगस्त से जुलाई तक	12 माह	685/है0 प्रति माह	73980.00
द्वितीय वर्ष अगस्त से जुलाई तक 12 महिना	अगस्त से जुलाई तक	12 माह	685/है0 प्रति माह	73980.00
तृतीय वर्ष अगस्त से जुलाई तक 12 महिना	अगस्त से जुलाई तक	12 माह	685/है0 प्रति माह	73980.00
चतुर्थ वर्ष अगस्त से जुलाई तक 12 महिना	अगस्त से जुलाई तक	12 माह	685/है0 प्रति माह	73980.00
पंचम वर्ष अगस्त से जुलाई तक 12 महिना	अगस्त से जुलाई तक	12 माह	685/है0 प्रति माह	73980.00
छठम वर्ष अगस्त से जुलाई तक 12 महिना	अगस्त से जुलाई तक	12 माह	685/है0 प्रति माह	73980.00
सप्तम वर्ष अगस्त से जुलाई तक 12 महिना	अगस्त से जुलाई तक	12 माह	685/है0 प्रति माह	73980.00
अठम वर्ष अगस्त से जुलाई तक 12 महिना	अगस्त से जुलाई तक	12 माह	685/है0 प्रति माह	73980.00
नवम वर्ष अगस्त से जुलाई तक 12 महिना	अगस्त से जुलाई तक	12 माह	685/है0 प्रति माह	73980.00
दशम वर्ष अगस्त से जुलाई तक 12 महिना	अगस्त से जुलाई तक	12 माह	685/है0 प्रति माह	73980.00
योग-				739800.00

17- औजारों की खरीद पर व्यय-

नाम औजार	मात्रा	दर	व्यय
औजार मरम्मत पर व्यय	ल0स0	ल0स0	2000.00

18- अन्य विविध कार्यों पर व्यय-

कार्य	अवधि	नपत मात्रा	दर	व्यय
1- वनीकरण क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरोत्पादन, सिंगलिंग, लोपिंग व अन्य कलचर कार्य करना।	जनवरी/फरवरी	3000	@ 344/से0	10320.00
2- रोपण के पश्चात् माह अगस्त में गड्डों में उर्वरक डालना मिट्टी में मिलाना (प्रथम निराई, गुड़ाई करना)	अगस्त	1800	189/से0	3402.00
3- शीत कालीन गुड़ाई तथा मलचिंग तथा खाद मिलाना (द्वितीय गुड़ाई)	फरवरी	1800	163/से0	2934.00
4- फोटोग्राफी करना।		ल0स0	ल0स0	1000.00
योग-				17656.00

कुल योग- 1534525.00

वर्ष	धनराशि	योजना का नाम	लेखा शीर्षक
	1534525.00	क्षतिपूरक योजना	

उप वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर
Unn Kumar
Rudrapur Forest Division

रोड साइड वृक्षारोपण प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का कुल लम्बाई :- 6.00 किमी०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- (100 पौधे / प्रति किमी०) 100X 6.00 = 6000 पौधे

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	6.0000	3730.000	22380.000
3	ट्री गार्ड क्रय करना	6000	संख्या	1500.000
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	6000	गड्ढा	7.950
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	6000	पौध	6.200
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तैज करना	6.0000		915.000
योग - प्रथम चरण				9112770.000

द्वितीय चरण

1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	6000	पौध	1.42	8520
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	6000	पौध	1.80	10800.00
3	ट्री गार्ड डुलान करना	6000	L.S.	200.000	1200000.000
4	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	6000	L.S.	155.000	930000.000
5	50 बैग पौध का डुलान वाहन से 25 कि०मी०	6000	पौध	9.00	13500.00
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	6000	पौध	2.77	16620.00
7	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	6000	पौध	1.63	9780.00
8	खाद व दवा पर व्यय	6.0000		1200.00	7200.00
9	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	6870 प्रतिमाह			6870.00
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	2500 प्रतिमाह			2500.00
योग- द्वितीय चरण					2205790.00

कुल योग **11318560.00**

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-क-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2019-20 हेतु देय दर/ 417821.00 रु०/प्रति किमी०

6.00 किमी० **2506926.00**

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रारूप 43

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्ता प्रमाण-पत्र

1. परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/UK/ROAD/39084/2019
2. परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.50 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।
3. जनपद का नाम :- रुद्रप्रयाग।
4. प्रभाग का नाम :- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
5. परियोजना का क्षेत्रफल (है० में) :- 4.50 है०
6. प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम न्याल्सू (रामपुर) की सिविल सोयम भूमि (पूरा विवरण देते हुये) जिसका क्षेत्रफल 9.00 है० है, का पुनः दिनांक 03.07.2020 को वैभव कुमार सिंह (प्रभागीय वनाधिकारी/सक्षम अधिकारी का नाम अंकित किया जाय) द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र भारत सरकार की पत्र संख्या-11-423/2011-एफ०सी० दिनांक 08.11.2017 के बिन्दु संख्या-5 के अनुसार ए०एन०आर० (प्राकृतिक पुनरोत्पादन) हेतु सिविल वन भूमि पर सर्वथा उपयुक्त पाया गया। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध है, क्षेत्र का हरियाली का घनत्व 0.40 प्रतिशत से कम है, जिसमें कि 1000 पौध प्रति है० रोपित किये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर

(सक्षम अधिकारी का नाम/पद/मोहर सहित)
सक्षम अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

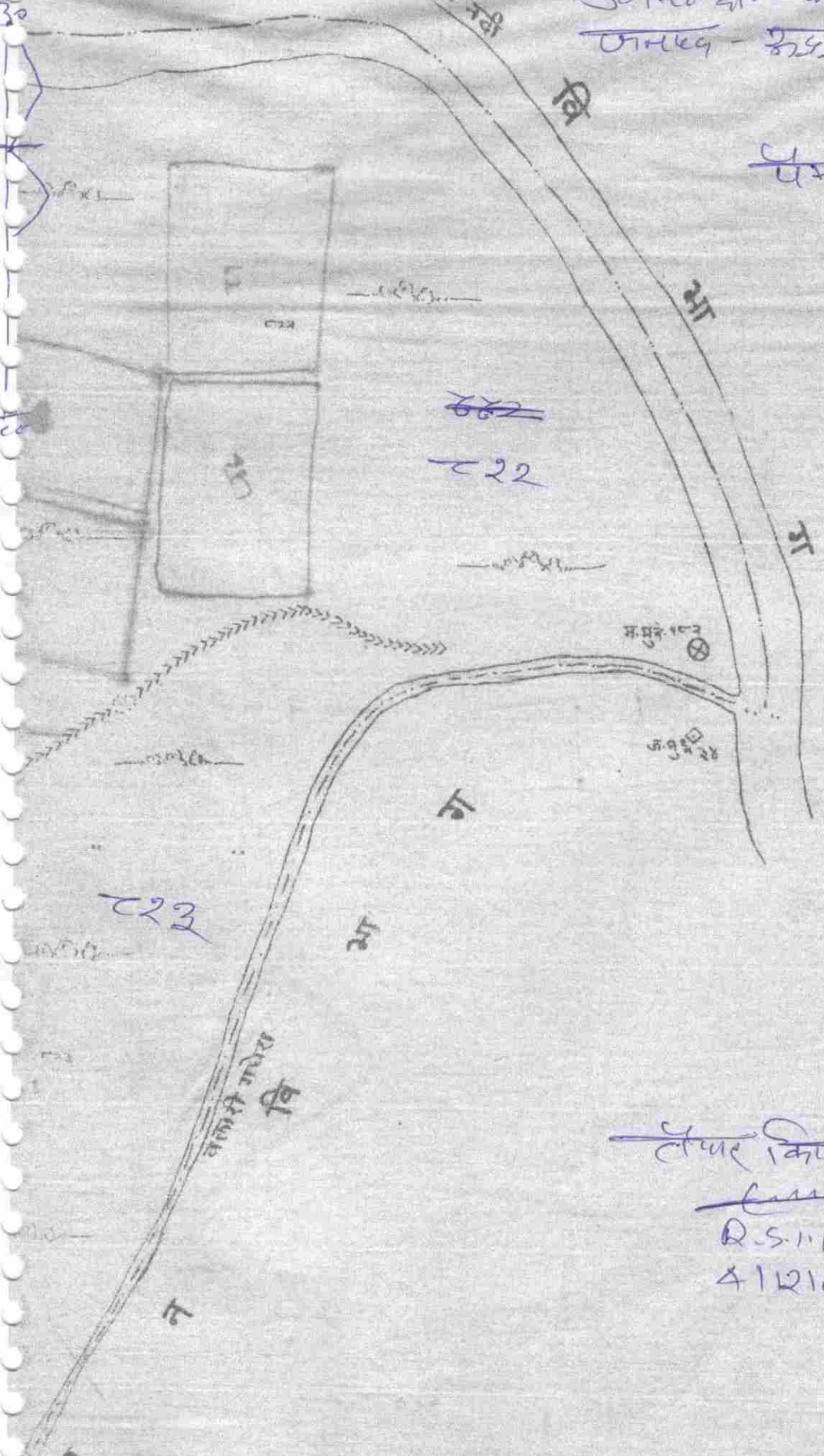
हस्ताक्षर

(प्रभागीय वनाधिकारी का नाम/पद/मोहर सहित)
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

व न पल्लविनी नदी

नरेश दायापति ग्राम न्यायस्थ शिव
उत्तिष्ठ क्षेत्र - पञ्च तहसील कुम्भमेख
जानक्य - ३५५५५५

पैसा ३२" - १ भूमि



लेखक विष्णु
R.S. 11/1/19
4121018

नकल-खसरा ग्राम- न्यालक्ष राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र-फाटा
तहसील-ऊखीमठ जनपद-रुद्रप्रयाग (फिसली वर्ष 1423 से 1427 तक)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B2254B726 30 - 220				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unit 5.437 30			
B23379426 30 - EU				-			-					-		-		-	Unit 3.794 30			
029-231																				

S. S. I. F. No.
 A/12/018

~~Harsh Kumar~~
D.S. Infection
4/12/08

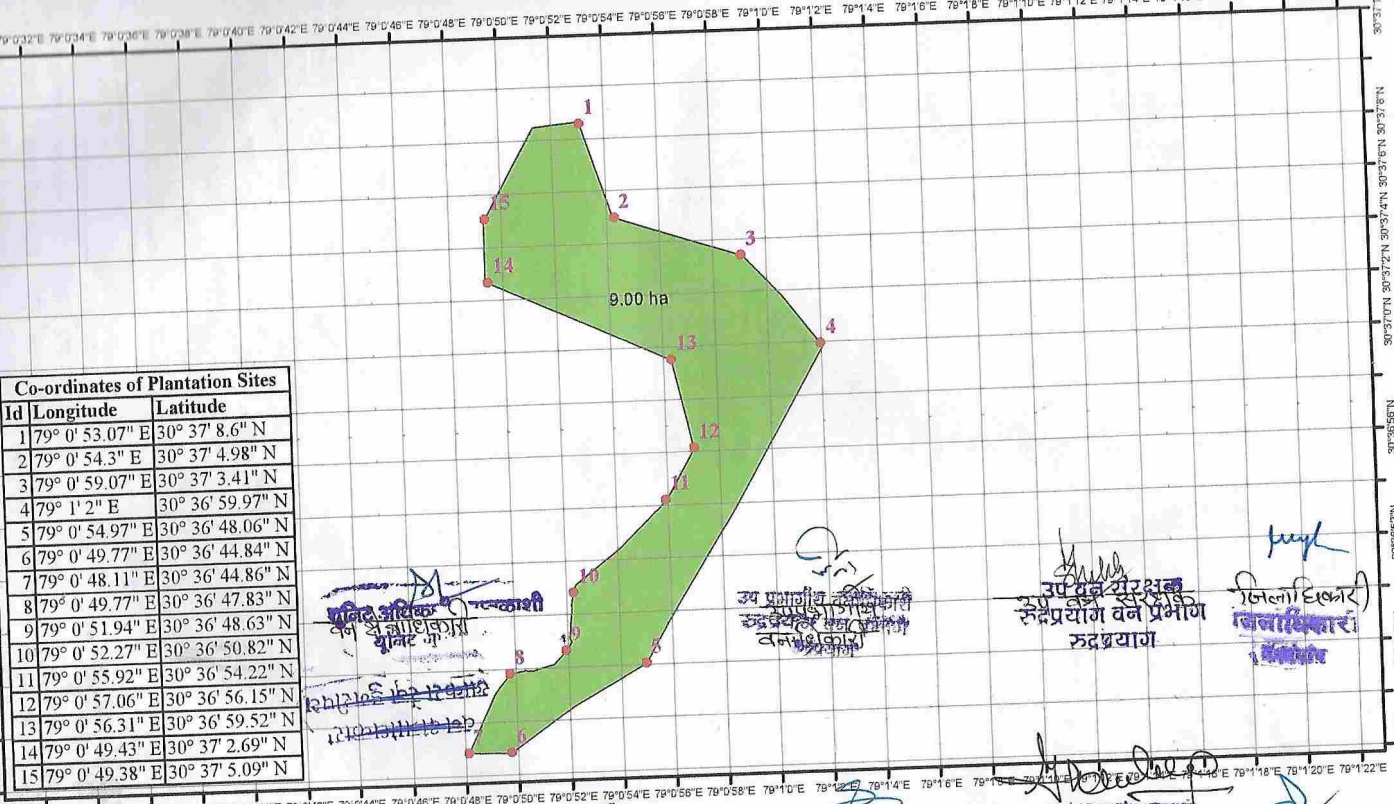
नमकल नमकल खेतीनी जे वि० २० ग्राम नमकल २० उ० नि० दो पाहा लवसील उरवायेक जमकल के प्रव

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19+2
	२६	जंगल झाड़ी	जैसी ४ (ख) २- अन्य प्रकार के जंगल झाड़ियां व जंगली घास -		८२२	२८४	कुमक											
				८२३	१८८॥	कलदीगी												
			४०॥	०२	४८३॥													

नोट: नमकल खेतीनी असल से तैयार की गयी।

R.S. Ftr
4/12/19

जियोरेफरन्स मैप:- जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
 चयनित वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल-9.00 है०) सिविल श्रुति ग्राम - न्याल्सू (राप्रपुर)



Co-ordinates of Plantation Sites		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 0' 53.07" E	30° 37' 8.6" N
2	79° 0' 54.3" E	30° 37' 4.98" N
3	79° 0' 59.07" E	30° 37' 3.41" N
4	79° 1' 2" E	30° 36' 59.97" N
5	79° 0' 54.97" E	30° 36' 48.06" N
6	79° 0' 49.77" E	30° 36' 44.84" N
7	79° 0' 48.11" E	30° 36' 44.86" N
8	79° 0' 49.77" E	30° 36' 47.83" N
9	79° 0' 51.94" E	30° 36' 48.63" N
10	79° 0' 52.27" E	30° 36' 50.82" N
11	79° 0' 55.92" E	30° 36' 54.22" N
12	79° 0' 57.06" E	30° 36' 56.15" N
13	79° 0' 56.31" E	30° 36' 59.52" N
14	79° 0' 49.43" E	30° 37' 2.69" N
15	79° 0' 49.38" E	30° 37' 5.09" N

Legend

- GPS Location
- CA Land

सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

1:6,000

0 0.075 0.15 0.3 km

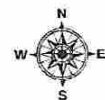
उप प्रभारी वन विभाग
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
 रुद्रप्रयाग

अधीक्षक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Prepared by: ITGC, PGCE, (Rudrapur)

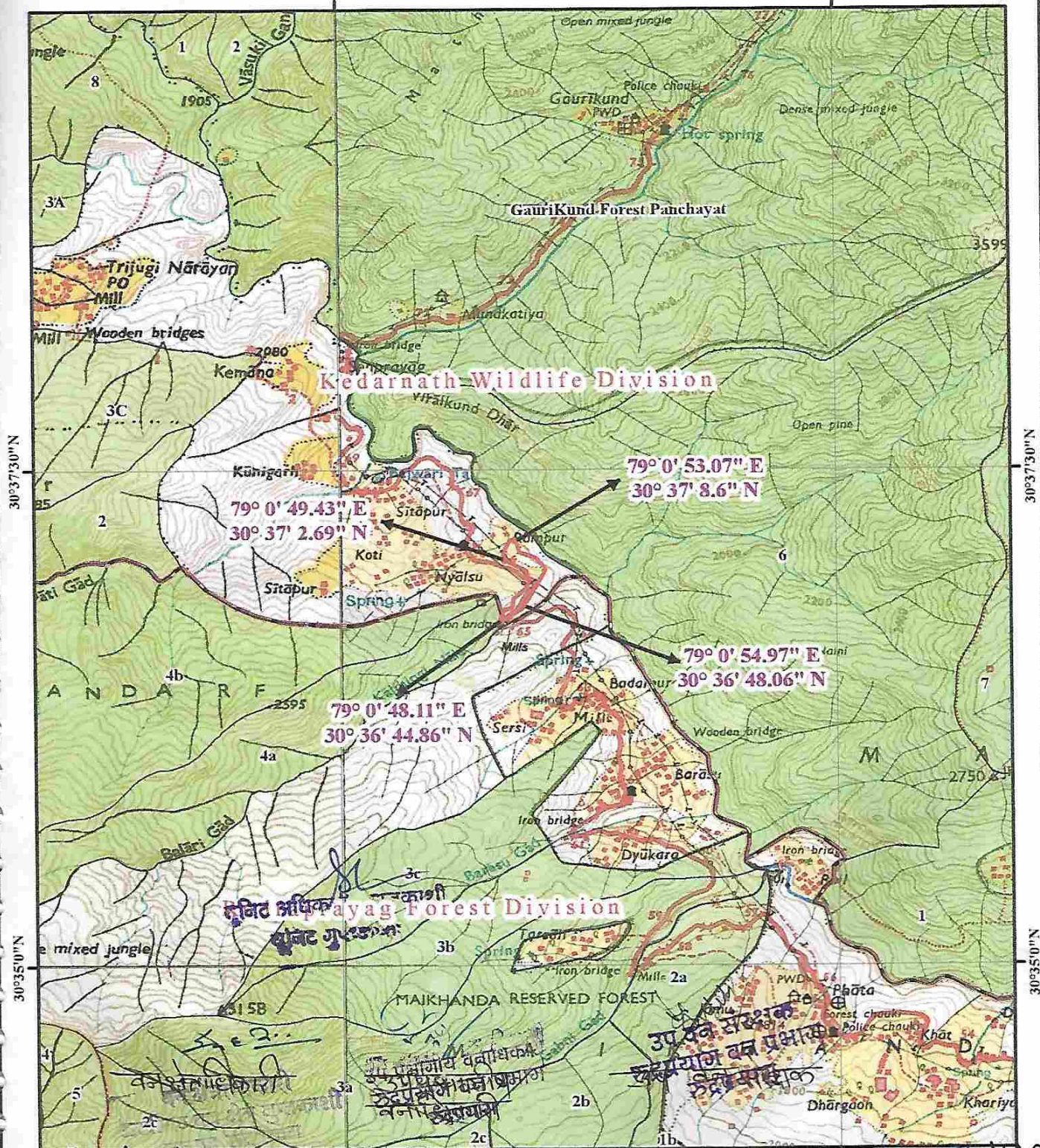
डिजिटल मैप:-जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल-9.00 है०)

सिविल भूमि ग्राम - न्याल्सू (रामपुर)



79°0'0"E

79°2'30"E



Legend

- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Plantation Site

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office

एम.ओ.यू. / अन्डरटेकिंग

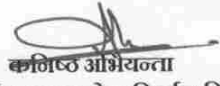
परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली 4.500 है० वन भूमि के दुगने अवतन अर्थात 9.00 है० सिविल सोयम भूमि जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका में वर्णित है, में वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने पर राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.सं.	खसरा नं.	कुल रकवा (है०)	अर्जित रकवा (है०)	खता खतोनी सं.	भूमिधर का नाम	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	822	5.437	5.437	26	उ०ख० सरकार	जंगल झाड़ी
2	823	3.794	3.563	26	उ०ख० सरकार	जंगल झाड़ी
योग:-		9.231	9.00	-	-	-



अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



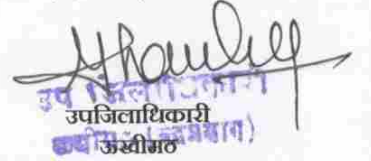
अधिष्ठासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



राजस्व उप निरीक्षक
फाला



तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग



उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्राक्कलन बाबत :-जनपद रुद्रप्रयाग में त्रियुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य के सापेक्ष रोड साईड वनीकरण का प्राक्कलन।

रेंज- उखीमठ रेंज, प्रभाग:- केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग ,गोपेश्वर

वर्ष 2017-18

1- अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम वर्ष)

क्र.सं०	कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Schedule I.	Amount
		L	B	H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गड्डों का रेखांकन कार्य	-	-	-	1908	गड्डे	60.00	प्रति सेकड़ा	2-5-a	1144.80
2	गड्डे खुदान कार्य करना (30×30×.45से.मी.)	0.30	0.30	0.45	1908	गड्डे	934.00	प्रति सेकड़ा	2-5-b	17820.72
3	अन्य विविध व्यय (औजार उपकरण आदि)									5000.00
									योग	23965.52
4	ऊँचाई वृद्धि (+) 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	2396.55
									कुलयोग:-	26362.07

2-वृक्षारोपण कार्य द्वितीय वर्ष

क्र.सं०	कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Schedule I.	Amount
		L	B	H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गड्डे भरान कार्य करना (30×30×.45से.मी.)	0.30	0.30	0.45	1908	गड्डे	178.0	प्रति सेकड़ा	3-1-b	3396.24
2	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	-	-	-	1908	पौध	11.00	प्रति पौध	2-7	20988.00
3	बैग पौध दुलान वाहन द्वारा साईज 8"×5" पौधालय से कार्य स्थल तक 50कि०मी०	50	-	-	1908	पौध	11.0	प्रति सेकड़ा प्रति किमी	3-7-c	10494.00
4	बैग पौध ट्रक में लोड करना	-	-	-	1908	पौध	75.0	प्रति सेकड़ा	3-30	1431.00
5	बैग पौध ट्रक से अनलोड करना	-	-	-	1908	पौध	60.0	प्रति सेकड़ा	3-31	1144.80
6	पौध का रोपण गड्डों में अच्छी प्रकार दबाना, आवश्यकतानुसार थावंला बनाना, ढाल सही बनाना, पौधारोपण क्षेत्र के भीतर दुलान सहित	-	-	-	1908	पौध	346.0	प्रति सेकड़ा	3-12	6601.68
7	रोपण के पश्चात् माह अग्रत में गड्डों में उर्वरक डालना (प्रथम गुड़ाई करना)	-	-	-	1908	पौध	238.0	प्रति सेकड़ा	3-15	4541.04
8	शीतकालीन गुड़ाई तथा मल्लिग व खाद डालना (द्वितीय गुड़ाई करना)	-	-	-	1908	पौध	205.0	प्रति सेकड़ा	3-16	3911.40

[illegible]

3-वनीकरण क्षेत्रों का विटिंगअप (10 प्रतिशत का विटिंगअप) - (तृतीय वर्ष)

क्र.सं०	कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Schedule I.	Amount
		L	B	H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पौध की कीमत	—	—	—	190	पौध	11.0	प्रति पौध	4-1	2090.00
2	पौध ढुलान	—	—	—	190	पौध	13.0	प्रति पौध	4-2	2470.00
3	पुनः गड़ढा खोदना एवं रोपण करना	—	—	—	190	पौध	6.0	प्रति पौध	4-3	1140.00
4	गोबर की खाद का मूल्य/ढुलान सहित	—	—	—	—	—	—	—	—	5000.00
5	शीतकालीन निराई, गुडाई, मल्विंग तथा खाद मिलान	—	—	—	190	पौध	205.0	प्रति सेकडा	4-5	389.50
6	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक	—	—	—	12	month	400.0	प्रति माह	—	4800.00
									योग	15889.50
7	ऊँचाई वृद्धि (+) 10%	—	—	—	—	—	—	—	—	1588.95
									कुल योग:-	17478.45

4-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव (चतुर्थ वर्ष)

क्र.सं०	कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Schedule I.	Amount
		L	B	H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक।	-	-	-	12	Month	400	प्रति माह		4800.00
	योग:-									4800.00

5-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(पंचम वर्ष)

क्र.सं०	कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Schedule I.	Amount
		L	B	H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक।	—	—	—	12	Month	400.0		—	4800.00
									योग:-	4800.00

6-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(छठा वर्ष)

क्र.सं०	कार्य का विवरण	Dimantion			Quantit	Unit	Rate	Unit Rate	Sched ular I.	Amount
		L	B	H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक।	-	-	-	12	Month	400.0	प्रति माह		4800.00
योग:-										4800.00

7-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(सातवा वर्ष)

क्र.सं०	कार्य का विवरण	Dimantion			Quantit	Unit	Rate	Unit Rate	Sched ular I.	Amount
		L	B	H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक।	-	-	-	12	Month	400.0	प्रति माह		4800.00
योग:-										4800.00

8-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(आठवा वर्ष)

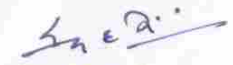
क्र.सं०	कार्य का विवरण	Dimantion			Quantit	Unit	Rate	Unit Rate	Sched ular I.	Amount
		L	B	H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक।	-	-	-	12	Month	400.0	प्रति माह		4800.00
योग:-										4800.00

9-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(नवम वर्ष)

क्र.सं०	कार्य का विवरण	Dimantion			Quantit	Unit	Rate	Unit Rate	Sched ular I.	Amount
		L	B	H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक।	-	-	-	12	Month	400.0	प्रति माह		4800.00
योग:-										4800.00

10-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(दसम वर्ष)

क्र.सं०	कार्य का विवरण	Dimantion			Quantit	Unit	Rate	Unit Rate	Sched ular I.	Amount
		L	B	H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक।	-	-	-	12		400	प्रति माह		4800.00
योग:-										4800.00
महा योग:-										2997313.72


 वन क्षेत्राधिकारी
 कुसीमठ वन क्षेत्र गुप्तवाशी
 जनपद रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्राक्कलन बाबत :-जनपद रुद्रप्रयाग में त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य में 4.011है० वन भूमि से उत्सर्जित मलबे के निस्तारण स्थल पर 0.489 है० क्षेत्र में वनीकरण।
क्षेत्रफल:- 0.489 है०

रेंज- उख्रीमठ वन

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर

वर्ष 2018-19

क्र.सं. 0	कार्य का विवरण	Dimantion			Quantity	Unit	Rate	Unit Rate	Sched ule I.	Amount
		L	B	H						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मक रोकथाम हेतु आर०आर० ड्राई क्रैट वायर चैक डेम बनाना सं० 50	3	1.5	1.5	337.50	घन मी०	1512.60	प्रति घन मी०		510502.50
2	द्वितीय स्लेप सं० 50	3	1.5	1.5	337.50	घन मी०	1512.60	प्रति घन मी०		510502.50
3	कुली वाल बनाना	250	0.45	1.2	135.00	घन मी०	346.00	प्रति घन मी०	2-6-c	46710.00
4	गड्डे खुदान कार्य करना (30×30×.45से.मी.)	0.30	0.30	0.45	500.00	गड्डे	934.00	प्रति सैकड़ा	2-5-b	4670.00
5	गड्डे भरान कार्य करना (30×30×.45से.मी.)	0.30	0.3	0.45	500.00	गड्डे	178.00	प्रति सैकड़ा	3-1-b	890.00
6	पौध रोपण कार्य करना				500.00	पौध	346.00	प्रति सैकड़ा	3-12	1730.00
7	पौधों का मूल्य				500.00	पौध	11.00	प्रति पौध	3-5	5500.00
8	बैग पौध डुलान वाहन द्वारा साईज 9"×6" वाला पौधालय से कार्य स्थल तक 50कि०मी०	50	-	-	500	पौध	10.00	प्रति सैकड़ा प्रति कि०मी०	3-7-c	2500.00
11	अन्य विविध व्यय (औजार उपकरण आदि)				0.489	है०	1000.00	प्रति है०	2-21	489.00
									योग	1083494.00
12	ऊँचाई वृद्धि (+) 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	108349.40
										कुल योग:- 1191843.40

1-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव (तृतीय वर्ष)

1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक	12			0.489	है०	595	प्रति है०	4-6	3491.46
---	--	----	--	--	-------	-----	-----	-----------	-----	---------

2-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव (चतुर्थ वर्ष)

1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक	12			0.489	है०	595	प्रति है०	4-6	3491.46
---	--	----	--	--	-------	-----	-----	-----------	-----	---------

3-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(पंचम वर्ष)

1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक	12			0.489	है०	595	प्रति है०	4-6	3491.46
---	--	----	--	--	-------	-----	-----	-----------	-----	---------

4-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(छठा वर्ष)

1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक	12			0.489	है०	595	प्रति है०	4-6	3491.46
---	--	----	--	--	-------	-----	-----	-----------	-----	---------

5-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(सातवा वर्ष)

1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक	12			0.489	है०	595	प्रति है०	4-6	3491.46
---	--	----	--	--	-------	-----	-----	-----------	-----	---------

9-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(आठवा वर्ष)

1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक	12			0.489	है०	595	प्रति है०	4-6	3491.46
---	--	----	--	--	-------	-----	-----	-----------	-----	---------

6-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(नवम वर्ष)

1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक	12			0.489	है०	595	प्रति है०	4-6	3491.46
---	--	----	--	--	-------	-----	-----	-----------	-----	---------

7-वनीकरण क्षेत्रों का रख-रखाव(दसम वर्ष)

1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक	12			0.489	है०	595	प्रति है०	4-6	3491.46
---	--	----	--	--	-------	-----	-----	-----------	-----	---------

सारांश

1	प्रथम वर्ष	1191843.40
3	तृतीय वर्ष	3491.46
4	चतुर्थ वर्ष	3491.46
5	पंचम वर्ष	3491.46
6	छठवां वर्ष	3491.46
7	सातवां वर्ष	3491.46
8	आठवां वर्ष	3491.46
9	नवम वर्ष	3491.46
10	दसवां वर्ष	3491.46
	योग	1219775.1

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी
लक्ष्मण रुद्रप्रसाद

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोपी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 हे० वनभूमि भूमि का लोनिवि० को हस्तान्तरण।

Muck Received From Hill Side Cutting

Road length		Average Cutting Width		Average Cutting Height	
Forest land	5730 m	4 m		3 m	
Nap land	270 m	2.5 m		2 m	

Material Received from hill side Cutting

For Forest Land $\frac{1}{2} \times 5730 \times 4 \times 3 = 34380.00 \text{ Cum}$

For Nap land $1 \times 270 \times 2.5 \times 2 = 1350.00 \text{ Cum}$

Total muck = 35730.00 Cum ----- A

Assuming 40% swelling of muck so muck received (A+40%A) = 50022.00 Cum ----- B

Material Utilized in the Project

Assume 60% boulders and 40% soil in the Muck

Quantity of Boulders received from muck (60% of B)

30013.2 Cum ----- C

Boulders used as :-

(a) RR Stone Masonary (60% of C) 18007.92 Cum

(b) HP Stone Filling (20% of C) 6002.64 Cum

(c) Wirecrates and parapits (10% of C) 3001.32 Cum

(d) Granular sub base/ base (10% of C) 3001.32 Cum

Total Boulders utilized 30013.2 Cum

Soil used in filling for Half cutting-Half filling method (assume 30% of B-C)

6002.64 Cum ----- D

Muck left for disposal (B-C-D)

14006.16 Cum

Disposal of Muck/loose soil in Dumping Zones

Sl. No.	Location	Size of Dumping yard			Type of Land/ Name of owner	Area (Ha.)	Capacit y (Cum)	Latitude/ Longitude
		L(m)	B(m)	H(m)				
1	Ch.	20	20	5	Sanctuary Land	0.040	2000	78°58'40.538"E 30° 38'46.013"N
2	Ch.	20	20	5	Sanctuary Land	0.040	2000	78°58'34.576"E 30° 38'49.848"N
3	Ch.	21	20	5	Sanctuary Land	0.041	2050	78°58'25.605"E 30° 38'54.572"N
4	Ch.	20	20	5	Sanctuary Land	0.040	2000	78°58'7.422"E 30° 39'0.702"N
5	Ch.	20	20	5	Sanctuary Land	0.040	2000	78°58'1.498"E 30° 39'5.196"N
6	Ch.	20	20	5	Sanctuary Land	0.040	2000	78°58'33.960"E 30° 39'7.737"N
7	Ch.	20	20	6	Sanctuary Land	0.040	2400	78°58'57.307"E 30° 38'13.958"N
8	Ch.	35	20	6	Sanctuary Land	0.070	4200	78°58'46.502"E 30° 39'28.273"N
9	Ch.	30	25	5	Sanctuary Land	0.075	3750	78°58'34.883"E 30° 39'30.248"N
10	Ch.	25	25	6	Sanctuary Land	0.063	3750	78°58'26.930"E 30° 39'38.323"N

0.489 Hec

Total Capacity of Dumping Zones - 14100 Cum

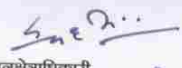
Total Muck need to be disposed - 14006 Cum

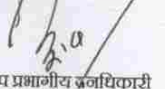
Balance Debris - NIL


कलियुक्त अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

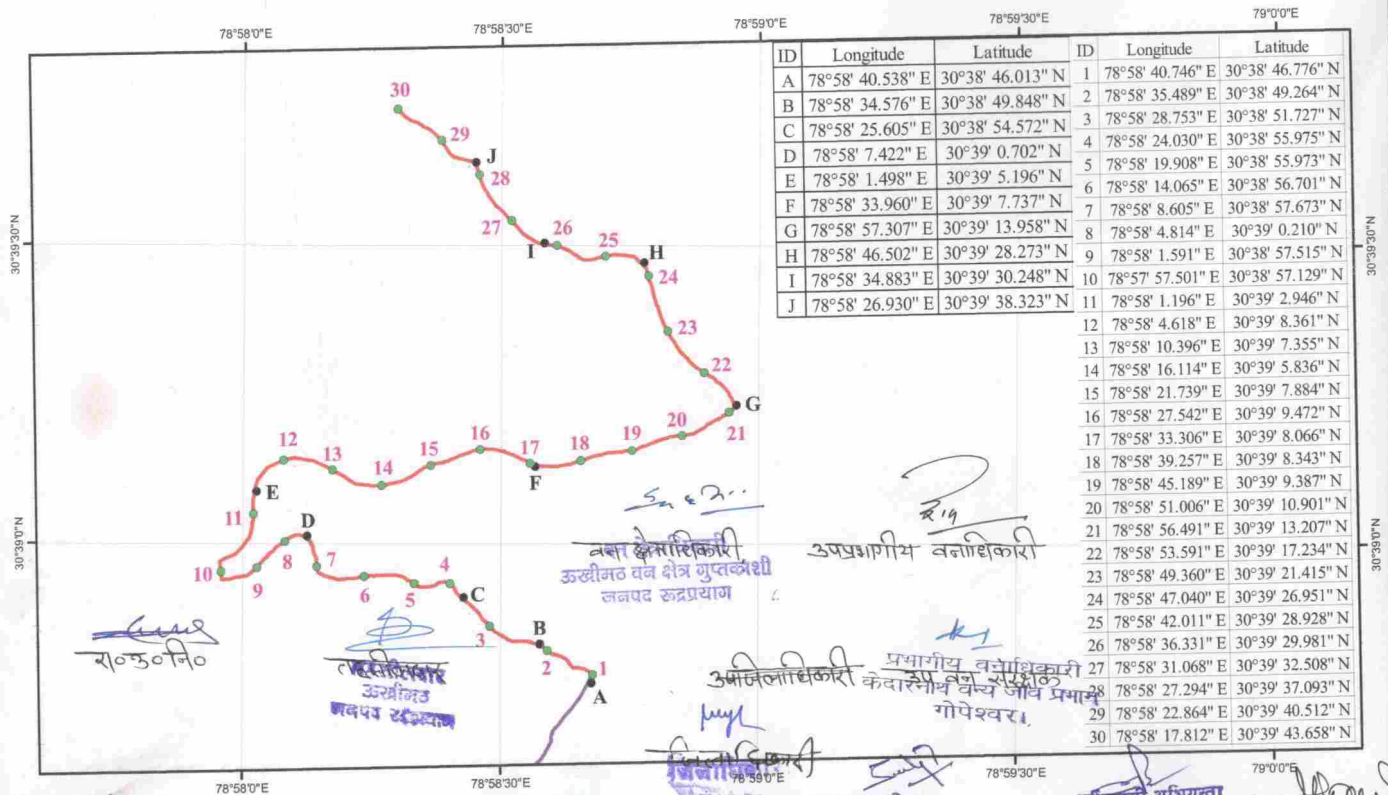

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप प्रशासकीय वन्य जीव प्रभाग
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर


उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत
त्रियुगीनारायण से तोषी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

0 0.25 0.50 1.00
Scale - 1:15,000



Legend

- Muck Dumping
- GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० बि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० बि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपनिर्देशक
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

N.P.V. की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० देयता निम्नानुसार है।

- 1.ईको - वलास श्रेणी----- ✓
- 2.हरियाली का घनत्व ----- 1.5
- 3.एन.पी.वी. की दर प्रति है.----- 8,45,000-00 x 5
- 4.आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल— 4.500 है०
- 5.कुल देय N.P.V की धनराशी— 1,90,12,500-00

वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
ऊखीमठ रोड (रूद्रप्रयाग)
जनपद रूद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्र.प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर।

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्राक्कलन बाबत :-जनपद रुद्रप्रयाग में त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य मे वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सीमा पीलर बनाना।

रेंज- उखीमठ वन क्षेत्र(गुप्तकाशी)		केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर				
		वर्ष 2018-19				
क्रं०	कार्य का विवरण	Unit	Rate	Unit Rate	Schedule I. No	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	12'4 सीमेंट कंक्रीट में 0.60X0.60X0.60 साईज के सीमा पीलर बनाना।	20	5000.00	प्रति	Is	100000.00
कुल योग:-						100000.00

(एक लाख रुपये मात्र)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
उखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-52

परियोजना का नाम:- त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।

पक्ष में जमा किया जायेगा।

क्र०सं०		कार्य का विवरण	सं०			नपत मीटर में			इकाई	दर रू०	घनराशि रू०	
						ल०	चौ०	ऊर्चाई/ग०				मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-1-3-B 1-2	पिलर निर्माण एवं बुनियाद खुदान	1	x	1/2	1.000	0.500	0.700	0.175	cum	294.80	51.59
2		आर०सी०सी० पिलर के बेस पर घूना व कोयला डालना	1	x	1	L.S.						500.00
3	11-7	1:2:4 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण।	1	x	1	1.00	0.50	0.10	0.05	cum		
				1	x	1	0.30	0.30	1.20	0.11	cum	
Total									0.16		8172.81	1291.30
4	5-22A.6	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना	0.158 X 78.50 X 1% = 0.124						0.1240	per qr	9589.00	1189.32
5	13-1-2	पिलर में 1:4 मसाले में प्लास्टर कार्य।	1	X	4	0.30		1.20	1.44			
				1	X	1	0.30	0.30		0.09		
Total									1.53	sqm	210.43	321.96
6	पिलर पर सफेदी कार्य व पिलर संख्या लिखना					L.S.						1000.00
7	पानी की ढुलाई आदि					L.S.						700.00
Total :-											5054.18	
एक सीमा पिल्लर पर व्यय रुपये – 5000.00 (पांच हजार, मात्र) या :-											5000.00	

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

युनिट अधिकारी
युनिट मुख्यालय

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-54

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है० वनभूमि भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण- प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


वननिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


रुद्रायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
ऊखीमठ रेज (रुद्रप्रयाग)
जनपद रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनधिकारी

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर।